

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2013—आषाढ़ 28, शक 1935

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2013

फा. क्र. 3(बी) 1-2012-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 68), राज्य शासन, श्री निर्भय कुमार गरवा पिता श्री बाबूलाल गरवा को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर है. उसकी जन्मतिथि 15 जून 1979 है.

फा. क्र. 3(बी) 1-2012-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 80), राज्य शासन, श्री बुदेसिंह सोलंकी पिता श्री स्व. कालुसिंह सोलंकी को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला धार है. उसकी जन्मतिथि 15 सितम्बर 1983 है.

फा. क्र. 3(बी) 1-2012-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 92), राज्य शासन, सुश्री ऊषा उईके पिता श्री बालचंद्र उईके को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य

आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला होशंगाबाद है। उसकी जन्मतिथि 7 मई 1985 है।

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2013

फा. क्र. 17(ई) 258-2013-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 सितम्बर 1998 को निरस्त करते हुए, एतद्वारा उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर, ग्वालियर हेतु नियुक्त किये गये पैन्ल अधिवक्ताओं को आदेश जारी होने के दिनांक से निम्नांकित दर पर अभिभाषकीय शुल्क दिया जाना निर्धारित करता है:—

**पैन्ल अधिवक्ता जो शासकीय कार्य के लिये  
नियुक्त किये जायें**

पैन्ल अधिवक्ता उच्च न्यायालय	प्रतिदिन प्रति प्रकरण
मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ	रु. 1000/- अधिकतम
इन्दौर/ ग्वालियर.	रु. 1500/- प्रतिदिन

उक्त व्यय अनुदान मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन-(114)-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (6251)-उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के अभिभाषकों की फीस एवं अन्य भुगतान-31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा। यह स्वीकृति वित्त विभाग के यूओ क्र. 681-289-ब-8-चार-13, दिनांक 3 जुलाई 2013 द्वारा प्रदत्त की गई है। अतः इस आदेश को वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत महालेखाकार, ग्वालियर को पृष्ठांकित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**के. डी. खान**, प्रमुख सचिव.

**गृह विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2013

क्र. एफ 1(ए) 26-1992-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जून 2013 द्वारा श्री एम. आर. आसुदानी, भा.पु.से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर. एन. डी. एवं पुलिस मैनुअल,

पुलिस मुख्यालय, भोपाल का दिनांक 3 से 14 जून 2013 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 2, 15 एवं 16 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था।

(2) इनके द्वारा दिनांक 3 एवं 4 जून 2013 कुल, दो दिवस के अर्जित अवकाश का उपभोग न करने के कारण उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दो दिवस का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

(3) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जून 2013 की शेष कण्डिकाएं यथावत रहेंगी।

क्र. एफ-1(ए) 253-1988-ब-2-दो.—डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पु. मु., भोपाल को दिनांक 12 से 14 अगस्त 2013 तक, तीन दिवस अर्जित अवकाश 9, 10, 11 एवं 15 अगस्त 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे., की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आर. के. टण्डन, भापुसे., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, पु. मु., भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे., द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग, भापुसे., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**इन्द्रनील शंकर दाणी**, अपर मुख्य सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 24 जून 2013

देवास, दिनांक 3 जुलाई 2013

क्र. 145-251-5अ-एस.सी.-2-13.—एतद्वारा मध्यप्रदेश उपज कृषि मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(5) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति मैहर, जिला सतना के लिए माननीय श्री मोतीलाल तिवारी, विधायक, विधान सभा क्षेत्र मैहर 65 के प्रस्तावानुसार निम्नानुसार विधायक के प्रतिनिधि नाम-निर्दिष्ट किया जाता है:—

क्र.	नाम-निर्दिष्ट सदस्यों का नाम व पता	प्राप्त प्रस्ताव	पद जिसके लिये नाम-निर्दिष्ट किये गये
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री संतोष कुमार अग्रवाल (गुड्डा) पिता स्व. राधेलाल अग्रवाल, निवासी मैहर, जिला सतना. मध्यप्रदेश.	माननीय विधायक वि.स.क्षेत्र मैहर, जिला सतना.	प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी समिति, मैहर.

मोहनलाल, कलेक्टर.

क्र. 1350-मण्डी निर्वा.-13.—मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समिति, कन्नौद के लिये माननीय श्री बृजमोहन जी धुत, विधायक, खातेगांव की ओर से श्री बलराम कुडिया पिता श्री हरचन्द्र जी कुडिया, निवासी चपलासा, तह. कन्नौद, जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है.

क्र. 1352-मण्डी निर्वा.-13.—मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिए मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समिति, देवास के लिये मान. श्रीमती कमला कैलाश गोस्वामी, अध्यक्ष, जिला पंचायत देवास की ओर से श्रीमती सोरमबाई पति सालगराम मालवीय, निवासी ग्राम सुनवानी गोपाल, तह. देवास, जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है.

महेश अग्रवाल, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 17 जुलाई 2013

क्र. कले. जबल. एस. डब्ल्यू-5834.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सरल क्रमांक 2) की धारा 2 के खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्रमांक 2 (क)-15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्र. एफ-2-(क)-09-08-बी-3, दो दिनांक 17 जुलाई 2013 कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समिति की बैठक दिनांक 28 अगस्त 2010 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुये राज्य शासन द्वारा "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :—

एक-नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है.

दो-सारणी के कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है.

### सारणी

पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है	ग्रामों एवं कालोनियां क्षेत्रों के नाम		पुलिस थाने का नाम/तहसील जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है.
	नाम	बंदोबस्त नंबर वार्ड नंबर	
(1)	(2)		(3)
थाना भेड़ाघाट, जिला जबलपुर	उजरोड	18	थाना माढ़ोताल, तहसील एवं जिला जबलपुर
थाना भेड़ाघाट, जिला जबलपुर	बेनीखेड़ा	18	थाना माढ़ोताल, तहसील एवं जिला जबलपुर
थाना भेड़ाघाट, जिला जबलपुर	बिनेकी	17	थाना माढ़ोताल, तहसील एवं जिला जबलपुर
थाना भेड़ाघाट, जिला जबलपुर	आरछा	17	थाना माढ़ोताल, तहसील एवं जिला जबलपुर
थाना भेड़ाघाट, जिला जबलपुर	लोहारी	17	थाना माढ़ोताल, तहसील एवं जिला जबलपुर

(1)	(2)	(3)
थाना भेड़ाघाट, जिला जबलपुर	अंधुआ 03	थाना गढ़ा, तहसील एवं जिला जबलपुर
थाना बरेला, जिला जबलपुर	गधेरी 693	थाना खमरिया, तहसील एवं जिला जबलपुर
थाना बरेला, जिला जबलपुर	पारसपानी 186	थाना खमरिया, तहसील एवं जिला जबलपुर
थाना पाटन, जिला जबलपुर	कैथरा 80	थाना कटंगी, तहसील पाटन जिला जबलपुर
थाना पाटन, जिला जबलपुर	करारी 53	थाना कटंगी, तहसील पाटन जिला जबलपुर
थाना पाटन, जिला जबलपुर	सिमरिया 419	थाना शहपुरा, तहसील पाटन जिला जबलपुर
थाना केण्ट, जिला जबलपुर	प्रियदर्शनी 250	थाना रांझी, तहसील एवं जिला जबलपुर
	कालोनी	
थाना केण्ट, जिला जबलपुर	सुअरकोल 250	थाना रांझी, तहसील एवं जिला जबलपुर
थाना केण्ट, जिला जबलपुर	हितकारणी 250	थाना रांझी, तहसील एवं जिला जबलपुर
	इंजीनिरिंग कालेज	

No. कले. जबल. एस. डब्ल्यू-5834.—In exercise of the powers conferred by clause (s) Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No. F2 (K) 15-99-08-B-3, two, dated 30th July 2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to committee of District Collector, SP & DPO. In meeting dated 17th July 2013 in partial modification of the previous Notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby which effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette" :—

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column (1) of the Table below the local areas specified in the column (2) there of and.

2. Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the Police Station mentioned in column (3) of the said Table :—

TABLE

Name of the Police Station (With tehsil and the District) from which excluded	Name of village/Local places Name Settlement of Village/ Local Areas No.	Name of Police Station (with tehsil and the district) from which included
(1)	(2)	(3)
Police Station, Bheraghat, Jabalpur	Ujroad 18	Police Station Madotal, Jabalpur
Police Station, Bheraghat, Jabalpur	Benikheda 18	Police Station Madotal, Jabalpur
Police Station, Bheraghat, Jabalpur	Bineki 17	Police Station Madotal, Jabalpur
Police Station, Bheraghat, Jabalpur	Archha 17	Police Station Madotal, Jabalpur
Police Station, Bheraghat, Jabalpur	Lohari 17	Police Station Madotal, Jabalpur
Police Station, Bheraghat, Jabalpur	Andhuwa 03	Police Station Garha, Jabalpur
Police Station, Barela, Jabalpur.	Gadheri 693	Police Station Khamariya, Jabalpur
Police Station, Barela, Jabalpur	Paraspani 186	Police Station Khamariya, Jabalpur
Police Station, Patan, Jabalpur	Kaithra 80	Police Station Katngi, Tehsil Patan Distt. Jabalpur.
Police Station, Patan, Jabalpur	Karari 53	Police Station Katngi, Tehsil Patan Distt. Jabalpur.
Police Station, Patan, Jabalpur	Simariya 419	Police Station Sahpura Tehsil Patan Distt. Jabalpur.
Police Station, Cantonment,	Priyadarshani 250	Police Station Ranjhi, Tehsil & Distt. Jabalpur.
	Colony.	
Police Station, Contoment	Suwalkole 250	Police Station Ranjhi, Tehsil & Distt. Jabalpur
Police Station, Contoment	Hitkarni 250	Police Station Ranjhi, Tehsil & Distt. Jabalpur
	Engineering College.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 27 जून 2013

प्र. क्र. 079-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	विलहाकंगाली	निजी भूमि रकबा 20.275 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 13.475 है. <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> कुल रकबा 33.750 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	टिरींगुरने तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 085-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	भौंसर	निजी 0.40 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.10 है. <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> कुल रकबा 0.50 है.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सागर.	शाहनगर-झुकेही मार्ग के कि. मी. 5/8 अलोनी नदी पर पुल के पहुँच मार्ग योजना अन्तर्गत अलोनी नदी पर पुल के पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 086-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके

द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	कचौरी	निजी 0.49 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. <hr/> कुल रकबा 0.49 है.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सागर.	शाहनगर-झुकेही मार्ग के कि. मी. 5/8 अलोनी नदी पर पुल के पहुँच मार्ग योजना अन्तर्गत अलोनी नदी पर पुल के पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 088-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	किशनपुर	निजी भूमि रकबा 35.188 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 8.300 है. <hr/> कुल रकबा 43.488 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	किशनपुर तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 089-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	गडरपुर	निजी भूमि रकबा 14.91 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.28 है. <hr/> कुल रकबा 16.19 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	किशनपुर तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 090-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	विमतहा	निजी भूमि रकबा 9.95 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.32 है. <u>कुल रकबा 12.27 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	किशनपुर तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 091-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	नरदहा	निजी भूमि रकबा 0.050 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है. <u>कुल रकबा 0.050 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बहरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 092-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	सब्दुआ	निजी भूमि रकबा 2.063 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.725 है. <u>कुल रकबा 2.788 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत पोषक नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 093-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	बरियारपुर (भूमियान)	निजी भूमि रकबा 9.113 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.288 है. <u>कुल रकबा 11.401 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत पोषक नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 094-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	भापतपुर कुर्मियान	निजी भूमि रकबा 19.380 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.475 है. <u>कुल रकबा 21.855 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत पोषक नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 095-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	धवारी	निजी भूमि रकबा 69.60 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 41.75 है. <u>कुल रकबा 111.35 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बहादुरगंज तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.



प्र. क्र. 096-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	पडरहा	निजी भूमि रकबा 3.25 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. <u>कुल रकबा 3.25 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बरहेपुर तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 097-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	अमुआ	निजी भूमि रकबा 35.09 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.43 है. <u>कुल रकबा 35.52 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	मुरकुछू तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 099-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	जमडा	निजी भूमि रकबा 34.016 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 21.230 है. <u>कुल रकबा 55.246 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	जमडा तालाब योजना अन्तर्गत बाँध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 100-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	इटाय	निजी भूमि रकबा 35.364 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 7.007 है. <u>कुल रकबा 42.371 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	इटाय तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 101-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	सटवा	निजी भूमि रकबा 11.550 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 8.200 है. <u>कुल रकबा 19.750 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बिलहा तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 102-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	करौंदी	निजी भूमि रकबा 18.93 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 24.26 है. <u>कुल रकबा 43.19 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	परासी तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 103-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	चौपरा	निजी भूमि रकबा 51.52 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 8.48 है. <u>कुल रकबा 60.00 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	चौपरा तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 104-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	सतधारा	निजी भूमि रकबा 42.50 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 28.01 है. <u>कुल रकबा 70.51 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 105-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	कठई	निजी भूमि रकबा 16.41 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 17.10 है. <u>कुल रकबा 33.51 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 106-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	सारंगपुर	निजी भूमि रकबा 38.60 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 43.31 है. <u>कुल रकबा 81.91 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 107-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	सलैया समारी	निजी भूमि रकबा 20.95 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 34.31 है. <u>कुल रकबा 55.26 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 108-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	पगरी	निजी भूमि रकबा 23.00 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 5.41 है. <u>कुल रकबा 28.41 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पगरी तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 109-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	पौसी	निजी भूमि रकबा 9.79 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.34 है. <u>कुल रकबा 12.13 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पगरी तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 110-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	मेनहा	निजी भूमि रकबा 16.40 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 3.49 है. <u>कुल रकबा 19.89 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	मेनहा तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 111-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	पिपरिया बराहो	निजी भूमि रकबा 26.91 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 6.43 है. <u>कुल रकबा 33.34 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	मेनहा तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 112-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	टीकुल पौडी	निजी भूमि रकबा 1.13 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.24 है. <hr/> कुल रकबा 1.37 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	मेनहा तालाब योजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 113-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	मझगवां	निजी भूमि रकबा 137.05 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 105.64 है. <hr/> कुल रकबा 242.69 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 114-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	मरहा	निजी भूमि रकबा 25.98 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 15.31 है. <hr/> कुल रकबा 41.29 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 115-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	खमतरा	निजी भूमि रकबा 37.19 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 18.65 है. <u>कुल रकबा 55.84 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 29 जून 2013

प्र. क्र अ-82-भू.अ.अ.-2012-13-670.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	सकतपुर	1.26 योग . . . 1.26	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स), दमोह.	पिपरोधा सकतपुर मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स), दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 29 जून 2013

क्र. 513-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित मकान की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त मकान के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

## अनुसूची

जिला	मकान का वर्णन			धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	मलनगॉव	26.79	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. न.घा.वि., मान जोबट, संभाग कुशी.	सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यीय प्रोजेक्ट में मकान डूब से प्रभावित होने से).

नोट.—(2) मकान के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, कुशी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., न.घा.वि.प्रा. मान जोबट, संभाग कुशी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्र. 9437-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुशी	अखाड़ा महेशरा	5.592 6.553	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर.	बरखेड़ा सिंचाई तालाब के निर्माण से प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुशी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 2 जुलाई 2013

प्र. क्र. 39-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	सुन्दरपुर	0.080	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	बगाज माता तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

प्र. क्र. 38-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	वकपुरा	1.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	बगाज माता तालाब योजना के डूब एवं बेस्ट वियर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

प्र. क्र. 37-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	कछियाखेरा	0.200	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	बगाज माता तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैठन, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्र. 1965-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन “विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन” के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सरई	डोगरी (पटवारी हल्का-डोगरी).	83.98	मुख्य परियोजना अधिकारी, ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला-सिंगरौली (म. प्र.).	विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1967-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन “विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन” के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सरई	बजौड़ी (पटवारी हल्का-बजौड़ी).	0.25	मुख्य परियोजना अधिकारी, ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला-सिंगरौली (म.प्र.).	विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1969-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन “विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन” के लिये

आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सरई	बेलवार (पटवारी हल्का-मझौली पाठ-60).	85.92	मुख्य परियोजना अधिकारी, ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला-सिंगरौली (म.प्र.).	विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1971-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन "विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन" के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सरई	अमरई खोह (पटवारी हल्का मझौली पाठ-60).	2.72	मुख्य परियोजना अधिकारी, ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला-सिंगरौली (म.प्र.).	विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1973-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन "विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन" के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने

के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सरई	खनुआ नया टोला (पटवारी हल्का खनुआ नया).	71.05	मुख्य परियोजना अधिकारी, ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला-सिंगरौली (म.प्र.).	कोयला क्षेत्र के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1975-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन "विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन" के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सरई	सिरसवाह (पटवारी हल्का मझौली पाठ-60).	29.15	मुख्य परियोजना अधिकारी, ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला-सिंगरौली (म.प्र.).	विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1977-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन "विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन" के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सरई	आमडाड़ (पटवारी हल्का झलरी-53).	47.23	मुख्य परियोजना अधिकारी, ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला-सिंगरौली (म.प्र.).	विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1979-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन “विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन” के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सरई	मझौली पाठ (पटवारी हल्का मझौली पाठ-60).	114.48	मुख्य परियोजना अधिकारी, ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला-सिंगरौली (म.प्र.).	विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1981-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन “विद्युत् उत्पादन हेतु कोयले का उत्खनन” के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सरई	झलरी (पटवारी हल्का झलरी-53).	356.55	मुख्य परियोजना अधिकारी, ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल ब्लॉक, जिला-सिंगरौली (म.प्र.).	विद्युत् उत्पादन हेतु कोयला का उत्खनन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-सिंगरौली के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 जुलाई 2013

क्र. 1477-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	रझौँहा	1.285	कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग, देवलौंद.	मझटोलवा सब-माइनर नहर का कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1479-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	कुंआ	0.215	कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग, देवलौंद.	मझटोलवा सब-माइनर नहर का कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1481-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	कुबरी	1.173	कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग, देवलौंद.	कुबरी शाखा नहर का कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1483-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	मझटोलवा	2.991	कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग, देवलौद.	मझटोलवा सब-माइनर नहर का कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1485-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	खैरहनी	0.448 हेक्टेयर	कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग, देवलौद.	मझटोलवा सब-माइनर नहर का कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1487-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	बूढाबाउर	0.360	कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल बांध संभाग, देवलौद.	मझटोलवा सब-माइनर नहर का कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 6 जुलाई 2013

क्र. 1517-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कोटा कोठार	5.60	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब-माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1519-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	पटेहरा कोठार	3.140	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब-माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.



क्र. 1521-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कुम्हरा पवाई	1.88	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब-माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1523-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	भमरा कोठार	1.80	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब-माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1525-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	झलवार कोठार	6.80	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब-माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1527-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	नादाझर कोठार	4.15	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब-माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1531-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	सेमरी जागीर	4.30	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब-माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1533-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	तिघरा पैपखार	1.80	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब-माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1535-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	हरदुआ कोठार	6.80	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब-माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1537-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बडागाँव कोठार	12.47	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब-माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 8 जुलाई 2013

क्र. 1548-प्रका.-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	पिपरा	0.29	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिंहावल वितरक क्र. 2 की हिनौती माईनर की निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1550-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	पचदो माधव	0.34	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहली सब-माइनर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1552-भू-अर्जन-2013-14.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	चमारी सोनवर्षा.	0.33	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब-माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1554-भू-अर्जन-2013-14.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	पचदो पीतर	0.17	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब-माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**बी. बी. श्रीवास्तव**, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2013

प्र. क्र. 09-अ-82-12-13-सा-1-सात.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा,

सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं. अर्जित किया जाने वाले हे. खसरा नं. क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
भोपाल	हुजूर	हिनोतिया आलम.	85/2 85/3	0.060	कार्यपालन यंत्री, निर्माण संभाग क्रमांक 2, राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल.	दानिश कुंज से केम्फोर्ट स्कूल सुमित्रा परिसर होते हुए हिनोतिया आलम तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण हेतु भूमि का अर्जन बाबत.
			योग . .	0.060		

टीप.— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय, राजस्व, तहसील हुजूर, भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-12-13-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा क्र. में से क्षेत्रफल (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
भोपाल	हुजूर	करारिया प.ह.नं. 21	72/2	0.024	परियोजना प्रबंधक, परियोजना उदय, नगरपालिक निगम, भोपाल.	मल-जल प्रवाह योजना पैकेज क्र. BPL-WW-05.
			99/1/2/2	0.105		
			117/1/1	0.028		
			117/1/2	0.116		
			117/4/2क	0.016		
			117/4/2ख	0.012		
			117/4/2ग	0.012		
			117/4/3	0.040		
			168	0.108		
			169, 170	0.072		
			251/4	0.060		
			252	0.096		
			253, 254	0.040		
			255/1, 255/2, 255/3	0.144		
			259	0.072		
274/121/2	0.016					
			योग . .	0.961		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन के कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, गोविन्दपुरा वृत्त, पुराना आर.टी.ओ. कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 15 मई 2013

क्र. 1032-भू-अर्जन-2013-राजस्व प्र. क्र. 59-अ-82-2012-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित सर्वे नम्बर में स्थित कृषि भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियां की अनुसूची के पद (2) एवं (3) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—पानसेमल  
(ग) ग्राम—गेन्द्री  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.125 हेक्टर.

सर्वे नंबर	डूब भूमि का रकबा (हेक्टर में)	परिसम्पत्ति
(1)	(2)	(3)
114	0.125	वृक्ष-06 नग

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—जलगोन-बंधारा-घट्ट्या मार्ग पर पुलिया निर्माण योजना हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा पथ) संभाग बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 25 जून 2013

क्र. 1432-भू-अर्जन-नहर-2013-प्र.क्र.45-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी

- (ख) तहसील—बड़वानी  
(ग) ग्राम—तलवाडा बुजुर्ग  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.995 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1 पैकि	0.200
3, 4, 6, 7/2, 7/3, 9/2, 9/3 पैकि	0.105
11 पैकि	0.085
32/1 1क पैकि	0.008
32/1 ख पैकि	0.109
35/1 पैकि	0.202
35/2 पैकि	0.202
37/1/1, 38/2 पैकि	0.055
37/1/2 पैकि	0.044
37/1/3 पैकि	0.064
37/2, 38/3, 39/4 पैकि	0.113
38/1/2 पैकि	0.045
39/3 पैकि	0.048
44/1/2 पैकि	0.008
44/2, 45, 46/2, 46/3, 47 पैकि	0.460
62/2, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71 पैकि	0.130
72/2 पैकि	0.054
73/1 पैकि	0.070
78/1/2 पैकि	0.045
78/1/4 पैकि	0.008
78/2, 79 पैकि	0.111
80, 81 पैकि	0.111
83, 84/2, 84/3 पैकि	0.300
87/1 पैकि	0.081
108/4, 109/1 पैकि	0.186
109/2, 110/2 पैकि	0.012
112/1, 112/2, 113, 115, 120/5 पैकि	0.243
116/2, 116/3 117 पैकि	0.170
118/2ख पैकि	0.194
118/4 पैकि	0.160
127/3 पैकि,	0.036
137/2, 138 पैकि	0.732
142/2 पैकि	0.045
142/3 पैकि	0.088
151/2, 151/5 पैकि	0.105
151/3 पैकि	0.025
151/4 पैकि	0.055
152/1 पैकि	0.177

(1)	(2)	(1)	(2)
152/2 पैकि	0.570	428/2 क पैकि	0.081
153 पैकि	0.070	429/2 पैकि	0.154
155/1 पैकि	0.081	429/4 पैकि	0.129
155/2 पैकि	0.049	429/5 पैकि	0.620
156 पैकि	0.040	429/6 पैकि	0.106
157/1 पैकि	0.060	430/4 पैकि	0.049
157/2 पैकि	0.097	431/2, 433/1 पैकि	0.040
157/6, 158/3, 158/4 पैकि	0.060	433/2, 435/2 पैकि	0.049
157/7, 158/5, 158/6 पैकि	0.0697	434/1 पैकि	0.368
159/2, 159/4 पैकि	0.170	435/3, 436, 442/2 पैकि	0.166
159/3 पैकि	0.008	437 पैकि	0.101
159/5 पैकि	0.194	योग . . .	<u>14.995</u>
287/3 पैकि	0.016		
302/1 पैकि	0.016	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर की डी.एम.-1 व डी. एम.-2 एवं डी. एम. 1 की सबमाईनर तथा झोला पीपरी माईनर नहर का निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.	
295/24, 308/2 पैकि	0.157		
308/6 पैकि	0.040	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11 बड़वानी, जिला-बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.	
308/8, 308/9 पैकि	0.309		
334 पैकि	0.032		
346/3, 346/4, 348 पैकि	0.550		
349/1 पैकि	0.101		
349/2, 349/3 पैकि	0.193		
350 पैकि	0.247		
351/2, 351/3 पैकि	0.121		
353/2, 353/3 पैकि	0.008		
355/2 पैकि	0.254		
356/1 पैकि	0.162		
357/1 पैकि	0.400		
357/2, 369 पैकि	0.194		
358 पैकि	0.057		
361/3 पैकि	0.384		
362, 363/1 पैकि	0.242		
364/1 पैकि	0.093		
364/2, 365/3 पैकि	0.097		
365/4 पैकि	0.223		
366/2 पैकि	0.146		
366/3 पैकि	0.081		
366/5 पैकि	0.008		
366/6 पैकि	0.372		
368/2 पैकि	0.077		
403/1 पैकि	0.263		
403/2 पैकि	0.274		
409/1, 409/2 पैकि	0.410		
413/3 पैकि	0.283		
414/1 क पैकि	0.036		
414/2 ग, 414/3 क पैकि	0.286		
416/1 पैकि	0.267		
416/2 पैकि	0.154		
427/3 पैकि	0.227		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
ग्वालियर, दिनांक 1 जुलाई 2013

प्र. क्र. 19-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर



(ग) ग्राम—सुपावली		(1)	(2)	(3)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.87 हेक्टेयर.				
सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (है. में)		
(1)	(2)	(3)		
1394	0.84	0.08	1196/1/मि.-2	
1395	0.59	0.12	1098/मिन.-1	1.31
1254, 1255	1.48	0.16	1098/मिन.-2	
1256	1.34	0.10	1096/1/मि.-3	
1179	0.49	0.09	1096/2	
1180	0.48	0.07	1096/3मिन.-1	0.52
1181	0.48	0.01	1096/4	
1187/1/मिन-1	0.52		1096/5	
1187/1/मिन-2	0.15	0.06	1096/2935	
1187/2	0.13		1194	0.79
1188	0.58	0.20	1198	0.62
1189	1.48	0.16	1199/1	0.05
1191/1/मिन-1	0.10	0.05	1199/2	0.06
1200	1.09	0.04	1199/3	0.07
1193/मिन-1	0.96	0.17	1199/4/मिन.-2	0.03
1193/मिन-2	0.96		1203	1.82
1194	0.79	0.12	1207/1	0.60
1198	0.62	0.02	1207/2	0.59
1197	1.36	0.13	1216	2.09
1156/1	0.05	0.02	1214	0.56
1156/2			1215	0.41
1143, 1144	3.53	0.34	1213	0.63
1189	1.48	0.07	1193/मिन-1	0.96
1191/1/मिन-1	0.10	0.04	1193/मिन-2	0.96
1190	0.84	0.16	1211	0.69
1172	0.98	0.13	1212	0.86
1169	1.39	0.06		
1118	0.88	0.07		
1119	1.13	0.19		
1117/मिन-1	0.44	0.07		
1117/मिन-2	0.62			
1121/1, 1122	0.53	0.02		
1121/2	0.04			
1123	0.73	0.19		
1103/2/मि.-1	0.04			
1103/3/मि.-2	0.05	0.05		
1103/3/मि.-4	0.02			
1103/3/मि.-5	0.03			
1093, 1102/2	0.91	0.11		
1102/1	0.29	0.05		
1102/3	0.73			
				योग : 4.87
			(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर शीतला माता नहर की 04 आर मायनर, 1 एल/4 आर मायनर एवं 1 आर/4 आर मायनर के निर्माण हेतु.	
			(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.	
			प्र. क्र. 20-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
			अनुसूची	
			(1) भूमि का वर्णन—	
			(क) जिला—ग्वालियर	
			(ख) तहसील—ग्वालियर	

(ग) ग्राम—बिल्हेटी	(1)	(2)	(3)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.22 हेक्टेयर.	1240	0.73	0.15
<b>ग्राम बिल्हेटी, तहसील ग्वालियर, पटवारी हल्का नं.</b>	1243	0.90	0.15
हरसी उच्चस्तरीय नहर सिंध परियोजना फेज-2 नहर के अंतर्गत	1244	0.15	0.03
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा की 5 आर माइनर	1232	0.68	0.10
के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की भूमि का मुआवजा	1231	0.40	0.06
निर्धारण प्रस्ताव	1222	0.58	0.05
	1219	0.57	0.13
सर्वे	64	0.03	0.01
सर्वे का कुल	1207	1.26	0.01
क्रमांक	1212	0.99	0.14
(1)	1204	0.10	0.02
2094	1203	1.16	0.04
2093	1206	0.15	0.07
2099	291	1.78	0.11
2092	290	0.29	0.16
1980	286	0.73	0.11
	285	0.74	0.11
	284	0.73	0.11
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता	182	0.47	0.11
है—हरसी उच्चस्तरीय नहर शीतला माता नहर की 05	181	0.42	0.10
आर माइनर के निर्माण हेतु.	179	1.11	0.02
	165/1	0.04	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया	165/2	0.01	0.02
जा सकता है.	165/3	0.03	
	165/4	0.03	
प्र. क्र. 22-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को	166	0.96	0.07
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	164	0.40	0.09
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित	163	0.62	0.06
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम,	162	0.62	0.05
1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित	161	0.41	0.08
किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये	70	1.69	0.17
आवश्यकता है:—	67	1.19	0.13
	66	0.31	0.04
<b>अनुसूची</b>			
(1) भूमि का वर्णन—	63	0.69	0.09
(क) जिला—ग्वालियर	68	0.06	0.01
(ख) तहसील—ग्वालियर	61	0.75	0.04
(ग) ग्राम—बिलारा	58	0.76	0.01
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.22 हेक्टेयर.	1221	1.41	0.17
	290	0.29	0.04
सर्वे	294	1.19	0.13
नम्बर	296	1.04	0.06
	277	0.23	0.01
(1)	276	0.67	0.02
	274	1.32	0.10
1265	272	0.64	0.08
1264	219	0.83	0.05

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
210	0.84	0.07	1905	0.48	0.09
208	0.71	0.01	1904	0.28	0.02
269	0.26	0.06	1900	0.22	0.04
268	1.35	0.01	1901	0.27	0.04
226	0.78	0.09	1871	0.58	0.06
228	0.12	0.01	1870	0.61	0.03
229	1.52	0.15	1866	0.31	0.05
230	0.05	0.01	1867	0.32	0.08
270	0.63	0.06	1868	0.18	0.01
220	0.81	0.06	1797	0.05	0.01
209	0.220	0.06	1794	0.12	0.01
225	0.66	0.01	1795	0.28	0.09
120/2	0.10	0.02	1792	0.24	0.03
120/3	0.24	0.04	1791	0.26	0.03
111	0.37	0.02	1788	0.20	0.03
113/1	0.60	0.07	1786	0.57	0.01
113/2	0.89	0.02	1787	0.03	0.02
108	0.27	0.06	1754	0.85	0.04
107	1.09	0.10	1781	0.21	0.02
403	0.56	0.01	1755	1.03	0.13
399	0.05	0.01	1767	1.30	0.11
404	0.75	0.11	1775	0.68	0.06
402	0.56	0.11	1769	0.74	0.09
398	0.15	0.02	1770	0.31	0.04
389	0.73	0.02	765	1.00	0.13
371	0.84	0.05	853	0.13	0.02
374	0.06	0.01	852	0.09	0.01
391	0.73	0.01	851	0.57	0.10
372	0.11	0.02	854	0.12	0.01
370	0.59	0.05	855	0.95	0.01
118	0.06	0.01	803	1.28	0.01
397	1.36	0.11	800	2.34	0.21
1938	1.08	0.06	798	0.95	0.13
1930	0.76	0.07	799	0.72	0.09
1931	0.22	0.01	781	1.20	0.11
1929	0.94	0.12	780	0.03	0.01
1927	1.05	0.06	718	0.61	0.01
1925/1	0.28		778	0.91	0.10
1925/2	0.28		771	0.49	0.12
1925/3	0.28	0.07	779	0.85	0.01
1925/4	0.28		769	0.93	0.02
1923	0.70	0.07	764	1.17	0.01
1916	1.04	0.07	1937	0.25	0.08
1917	0.76	0.06	1938	1.08	0.20
1918	0.34	0.01	1931	0.22	0.01
1906	0.60	0.02			

योग : 8.22

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर शीतला माता नहर की 02 आर/1 मायनर, 1 आर मायनर, 1 एल/1 आर मायनर, 1 आर/1 आर मायनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 23-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—ग्वालियर  
(ग) ग्राम—दयेली  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.78 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
717	0.35	0.10
716	0.60	0.07
663	0.54	0.01
664	0.49	0.03
715	0.89	0.05
665	0.49	0.08
703	1.78	0.03
702	0.70	0.11
701	0.32	0.07
700	0.75	0.12
689	1.34	0.10
718	0.60	0.01
योग : 0.78		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर शीतला माता नहर की 02 आर मायनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 24-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—ग्वालियर  
(ग) ग्राम—जिगनिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.10 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
54/1	0.13	0.04
54/2	0.10	
55	0.47	0.01
53/1	0.20	0.11
53/2	0.15	
51	0.20	0.01
52	0.41	0.04
70	0.14	0.07
67	0.14	0.01
69	0.16	0.02
72	1.33	0.22
76	0.27	0.01
73/1	0.20	0.11
73/2	0.20	
74/1	0.20	0.04
74/2	0.11	
114, 115	0.21	0.01
117/1, 116/1 मिन	0.21	0.03
117/2, 84/2 मिन	0.11	
118, 119	0.56	0.06
120	0.64	0.10
126, 123/मिन-1,	0.34	0.11
124/मिन-1		
125	0.70	0.05
127	0.30	0.06

(1)	(2)	(3)
129, 128	0.86	0.08
130	0.83	0.08
132	0.30	0.03
157, 134/1	2.09	0.27
134/2	0.69	
156	1.34	0.07
169	0.60	0.14
173	0.90	0.03
172/1	0.21	0.11
172/2	0.14	0.04
191/1	0.08	
191/2	0.05	
190/मिन-1	0.18	0.08
190/मिन-2	0.95	
190/मिन-3	0.95	
196	0.16	0.03
199/1	0.39	0.01
199/2, 195/1, 195/3	0.62	0.08
201/1	0.51	0.15
201/2, 202	0.61	0.06
204	0.19	0.05
206/1	0.47	0.24
206/2, 207, 251	1.30	
205, 203/3	1.04	
258/1	0.65	0.08
258/2	0.84	0.15
258/3	0.42	
253/1, 252	0.09	0.01
253/2	0.21	0.16
254/1	0.21	
254/2	0.26	
254/3	1.15	
160/1	0.21	0.04

योग : 3.10

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर शीतला माता नहर की 01 आर/1 आर मायनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 25-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर  
 (ख) तहसील—ग्वालियर  
 (ग) ग्राम—जखारा  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—6.06 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टेर में)
(1)	(2)	(3)
2715/1	2.35	0.04
2717	0.18	0.01
2696	0.06	0.01
2697	0.93	0.16
2695/1	0.51	0.07
2695/3	0.26	0.07
1685	0.31	0.02
1686/1	0.08	0.09
1686/2, 1687,	1.28	
1688, 1718, 1719/1		
1684	0.31	0.02
2723	0.57	0.10
2720/2	0.23	0.02
2722	0.54	0.03
2718/2	0.31	0.07
2718/1	0.08	0.05
2718/3	0.10	0.04
1691/1	0.36	0.14
1694	0.26	0.01
1693	0.17	0.09
1677/3	0.31	0.24
1677/2	0.05	
1674/1	0.38	0.06
1674/2	0.52	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1672	0.30	0.13	2237	0.56	0.07
1531/2	0.20	0.03	2236	0.24	0.04
1689/1	0.21	0.18	2235	0.67	0.01
1689/2	0.25		2234	0.55	0.11
1689/3	0.25		2295	0.88	0.23
2497/1	0.15	0.02	2209	0.44	0.01
2497/2	0.15		2207	0.10	0.02
2416	1.54	0.08	2196	1.06	0.13
2386	0.67	0.10	2168	0.42	0.09
2381/1	0.97		2197	0.13	0.01
2381/2	0.41	0.12	2167	0.14	0.01
2381/3	0.20		2152/1	0.28	0.08
2292	0.71	0.13	2152/2	0.13	
2281/1	0.16	0.07	2157	0.11	0.01
2293/1/मिन-2	0.41	0.13	479/2	0.12	0.01
2293/1/1	0.33	0.02	501	0.66	0.17
2293/2	0.75		520	0.38	0.07
2296/1	0.62	0.03	505/1	0.20	
2296/2	0.17		505/2	0.13	0.10
2283/1	0.13	0.09	505/3	0.02	
2283/2	0.13		504	0.03	0.01
2283/3	0.13		2166	0.49	0.01
2283/4	0.08		509/1/क	0.20	0.08
2283/5	0.08		509/1/ख	0.37	
2283/6/Min-1	0.20		509/2, 510	0.42	
2283/6/Min-2	0.05		518	0.76	0.10
2283/7	0.38		601	3.19	0.12
2288/1	0.28	0.01	2153/2	0.47	0.02
2288/2	0.20		500	0.64	0.01
2244/1	0.02		2419/मिन-1	0.53	0.01
2244/2	0.16		2419/मिन-2	0.54	
2244/3	0.10		31	0.857	0.16
2244/4	0.26		32	0.063	0.01
2244/5	0.26	0.14	26	1.432	0.10
2244/6/Min-1	0.10		28	0.763	0.06
2244/6/Min-2	0.10		27	0.439	0.07
2244/7	0.20		139	1.087	0.14
2244/8	0.20		136	0.512	0.13
			134	0.491	0.07

(1)	(2)	(3)	(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.32 हेक्टेयर.		
			सर्वे	कुल	अर्जित किये जाने
			नम्बर	रकबा	वाला अनुमानित
				(हेक्टर)	रकबा हेक्टर
			(1)	(2)	(3)
133	0.073	0.01			
175	0.826	0.02			
174	0.909	0.10			
176	1.578	0.10			
178	1.129	0.06	328	0.67	0.06
179	0.073	0.01	328/682	0.06	0.02
190	1.745	0.20	326/मिन-1	0.40	
189	1.338	0.02	326/मिन-2	0.04	
188	0.857	0.12	326/मिन-3	0.30	0.07
186	0.125	0.01	326/मिन-4	0.14	
2585	1.19	0.12	326/मिन-5	0.08	
2595	1.04	0.03	327/1	0.22	0.04
2593	0.10	0.03	327/2	0.23	
2589/1	0.29	0.01	331/मिन-1	0.62	0.12
2589/2	0.05		331/मिन-2	0.63	
1684/2	0.23	0.24	332	0.45	0.05
1682/1, 1684/1,	0.73	0.06	333	0.33	0.02
1683/1			617	0.49	0.02
1682/3			334	0.38	0.11
1683/2	0.73		650	0.16	0.04
1684/1			620	0.45	0.11
2696	0.06	0.02	649/1	0.29	0.02
1686/1	0.08	0.01	649/2	0.29	
1686/2	1.28		608	0.11	0.03
		योग : 6.06	610	0.16	0.06
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर शीतला माता नहर की 01 आर, 2 आर, 1 आर मायनर, के निर्माण हेतु.			611	0.38	0.08
			335	0.55	0.01
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.			613	0.21	0.04
			624	0.26	0.04
प्र. क्र. 26-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—			619	0.29	0.01
			528	0.16	0.01
			625	0.43	0.03
			623	0.21	0.06
			622	0.27	0.01
			546	0.52	0.07
			551	0.26	0.04
			550	0.08	0.03
(1) भूमि का वर्णन—			549	0.35	0.01
(क) जिला—ग्वालियर			526/681	0.39	0.01
(ख) तहसील—ग्वालियर			526	1.07	0.02
(ग) ग्राम—कृपालपुर					

(1)	(2)	(3)	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.33 हेक्टेयर.		
527	0.39	0.06	सर्वे	कुल	अर्जित किये जाने
525	0.56	0.09	नम्बर	रकबा	वाला अनुमानित
519	0.42	0.13		(हेक्टर)	रकबा हेक्टर
515	0.75	0.07	(1)	(2)	(3)
510	0.21	0.05	37	0.80	0.02
509	0.74	0.08	40/मिन-1	0.62	0.21
508	0.60	0.03	40/मिन-2	0.72	
504	1.04	0.10	11	0.42	0.02
609	0.22	0.02	43	1.03	0.08
95	0.37	0.01			योग : 0.33
94	0.37	0.05			
92	0.62	0.02	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर, शीतला माता नहर की 01 आर मायनर, के निर्माण हेतु.		
93	0.47	0.08	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.		
99	0.08	0.02			
103	0.37	0.01			
100	0.05	0.01			
101	0.19	0.01			
102	0.35	0.03	प्र. क्र. 28-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		
84	0.89	0.12	अनुसूची		
83	0.89	0.04	(1) भूमि का वर्णन—		
82/मिन-1	0.08	0.01	(क) जिला—ग्वालियर		
82/मिन-2	0.05		(ख) तहसील—ग्वालियर		
66	0.36	0.04	(ग) ग्राम—चपरोली		
			(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.05 हेक्टेयर.		
			सर्वे	कुल	अर्जित किये जाने
			नम्बर	रकबा	वाला अनुमानित
				(हेक्टर)	रकबा हेक्टर
			(1)	(2)	(3)
			131/1	1.34	0.01
			131/2	1.25	0.18
			37	0.29	0.01
			128	0.09	0.03
			130	0.31	0.08
			38	0.29	0.01
			39	0.29	0.03
			127	0.17	0.03

योग : 2.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर, शीतला माता नहर की 01 आर व 1 एल/1 आर मायनर, के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 27-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—नारायणपुर



(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
120	0.02	0.02	552	0.06	0.01
121	0.52	0.01	84/1	0.61	0.03
119	0.24	0.10	84/2	0.41	
52/1	0.52	0.15	131/2	1.25	0.09
52/2	0.52		36/मिन-1	0.29	0.04
117	0.815	0.04	35/1	0.34	0.07
114	0.60	0.24	34	0.41	0.07
98	0.08	0.01	26	0.78	0.08
97/1	0.64	0.09	33/1	0.26	
97/2	0.63		33/2	0.26	
99	0.53	0.01	33/3	0.26	0.08
109/1	0.14		33/4	0.26	
109/2	0.14	0.14	53/1	0.11	
109/3	0.13		53/2	0.23	
109/4	0.13		53/3/1	0.21	0.14
108/1	0.01	0.02	53/3/2	0.11	
108/2	0.01		53/4/1	0.23	
107	0.16	0.03	8/मिन-2	0.12	0.01
277	0.03	0.02	8/मिन-2	0.12	
278	0.41	0.14	543	0.25	0.06
31	1.31	0.14	544	0.32	0.10
282/मिन-1	0.18	0.02	554	0.34	0.10
282/मिन-2	0.13		555	0.55	0.06
280/मिन-1	0.96				
280/मिन-1	0.83	0.02			
280/मिन-2	0.20				
280/मिन-3	0.65				
284/1	0.69	0.27			
284/2	0.57				
546/1	0.41				
546/2	0.31				
546/3	0.36	0.13			
546/4	0.27				
546/5	0.47				
546/6	0.21				
542	0.23	0.03			
550	0.32	0.03			
553/2	0.70	0.04			
557	0.35	0.03			

योग : 3.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर, शीतला माता नहर की 1 एल/1 आर एवं 01 आर मायनर, के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 29-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—गुन्धारा			(1)	(2)	(3)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.69 हेक्टेयर.					
सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा हेक्टर			
(1)	(2)	(3)			
			347	0.49	0.10
			355	0.15	0.04
			381	0.24	0.04
			356	0.46	0.04
257	0.86	0.24	354	0.18	0.02
258	0.53	0.01	388	0.21	0.01
255	0.45	0.11	353	0.25	0.05
277	0.64	0.03	301	0.29	0.07
255/1550	0.55	0.15	299	0.35	0.01
254	0.53	0.06	385	0.35	0.15
251	0.75	0.10	384	0.30	0.01
252	0.55	0.05	387	0.60	0.12
233	1.10	0.08	507	0.13	0.06
250	0.55	0.01	506	0.31	0.02
234	1.47	0.17	508	0.32	0.01
231	0.94	0.01	509	0.29	0.11
35	1.50	0.14	504	0.67	0.03
34	1.87	0.01	510	0.28	0.02
36	0.79	0.15	511	0.42	0.06
38	0.67	0.10	513	0.17	0.02
47	0.76	0.17	512	0.69	0.08
48	0.48	0.10	524	0.63	0.09
49	0.50	0.05	528	0.14	0.01
59	0.66	0.20	529	0.36	0.10
58	1.18	0.19	531	1.70	0.08
56	0.88	0.01	532	0.50	0.05
320	0.39	0.06	533	0.46	0.06
319	0.03	0.07	534	0.46	0.05
318	0.44	0.02	535	0.46	0.06
327	0.83	0.08	536	0.52	0.10
329	0.93	0.17	537	0.67	0.02
333	0.24	0.09	488	0.45	0.02
352	0.06	0.01	487	0.55	0.05
330	0.24	0.03	610	0.55	0.07
331	0.24	0.10	609	0.94	0.07
313	0.24	0.02	611	0.16	0.02
345	0.62	0.14	612	0.16	0.11
346	0.19	0.01	613	0.16	0.01

(1)	(2)	(3)
651	2.29	0.20
650	0.14	0.05
657	1.39	0.09
646	0.10	0.02
672	0.28	0.10
645	0.39	0.02
659	0.31	0.05
658	3.59	0.07
660	0.38	0.06
670	0.83	0.12
688	0.32	0.07
686	1.37	0.06
687	0.32	0.14
692	1.65	0.01
690	2.78	0.12
691	2.31	0.28
694	2.57	0.23
321	1.04	0.01
695	1.260	0.01

योग : 6.69

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर शीतला माता नहर की 01 आर एवं 1 आर/1 आर मायनर, के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 24 जून 2013

प्र. क्र.7 अ-82 वर्ष 2012-13 पत्र क्र. 410-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये

आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर  
(ख) तहसील—नरसिंहपुर  
(ग) ग्राम—पिठेहरा, प.ह.नं. 7/1  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.610 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
10/1	0.078
10/2	0.360
12/3	0.024
12/2	0.060
18/2, 18/5	0.088
योग.	0.610

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बंधी जलाशय की नहर निर्माण कार्य होने के कारण.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.

नरसिंहपुर, दिनांक 28 जून 2013

प्र. क्र.9 अ-82 वर्ष 2012-13 पत्र क्र. 422-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर  
(ख) तहसील—नरसिंहपुर

(ग) ग्राम—आलौद	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.284 हेक्टर.	4/1,16/1	0.086
खसरा	4/4, 16/4	0.150
क्रमांक	28	0.180
(1)	22, 23, 24, 25,	0.340
	26, 27,	
218/18	382/1	0.040
269,270	382/3	0.336
271	458/1,2	0.107
284	379, 380	0.690
289		योग . 2.445
291		
292/3		
301/2		
302		
306/1		
योग .		1.284

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—आलोद जलाशय की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.

प्र. क्र.10 अ-82 वर्ष 2012-13 पत्र क्र. 424-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर  
(ख) तहसील—नरसिंहपुर  
(ग) ग्राम—गोरखपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.445 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकबा
क्रमांक	(हे. में)
(1)	(2)
4/3, 16/3	0.348
4/2,16/2	0.168

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—आलोद जलाशय की गोरखपुर माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**दीपक सक्सेना**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

नरसिंहपुर, दिनांक 3 जुलाई 2013

प्र. क्र.8 अ-82 वर्ष 2012-13 पत्र क्र. 449-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर  
(ख) तहसील—नरसिंहपुर  
(ग) ग्राम—बंधी, प.ह.नं. 8/1  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.209 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकबा
क्रमांक	(हे. में)
(1)	(2)
53	0.350
56/1,2	0.840
57/1,2	
62	0.388

(1)	(2)	(1)	(2)
63/1,2,3,4	1.740	175/1,2	0.032
76/1,3,4,5		176/1,2	
58	2.165	173/1,2,3	0.132
60	1.538	174	0.120
61	1.197	170,171	0.090
79/1	1.440	169	0.120
63/1,76/1		384/1,2,3	
63/2,76/3		384/5,6,7	0.540
63/3,76/4	0.470	384/8,9,10	
63/4,76/5		380/1,2	
64/1,73/1	0.235	380/3,4	
64/2,73/2		380/5,7	0.342
72	0.240	380/6,8	
108	0.300	380/9	
113/1,2	0.100	386/7	0.510
118/1, 119/1		386/13	
118/2, 119/2		144/1	
118/3, 119/3		144/2	0.048
118/4, 119/4		145	
118/5, 119/5	0.405		
118/6, 119/6			योग. . 15.209
118/7, 119/7			
118/8, 119/8			
118/9, 119/9			
118/10, 119/10			
121/1			
122/1			
123/1,2	0.400		
136			
121/2,3,4,5			
141	0.127		
143	0.060		
386/1,2,4			
386/5,6,7			
386/8,9,10			
386/11,12,13	1.050		
386/14,15,16			
386/17,18,19			
386/20,21			
387,388	0.080		
166,167	0.150		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बंधी पिठेहरा शीर्ष कार्य, डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य होने के कारण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 भू-अर्जन शाखा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गरोठ, दिनांक 1 जुलाई 2013

प्र. क्र. 04-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की ढाबलामनोहर तालाब योजना (पूरक प्रकरण) के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंदसौर  
(ख) तहसील—भानपुरा  
(ग) ग्राम—ढाबलामनोहर, अन्त्रालिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.06 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)

#### ग्राम—ढाबलामनोहर

14	0.23
15	0.60
योग . .	0.83

#### ग्राम—अन्त्रालिया

1653	0.61
1656 पै.	0.62
योग . .	1.23
महायोग . .	2.06

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ढाबलामनोहर तालाब योजना हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी गरोट जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**शंशाक मिश्र**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 2 जुलाई 2013

क्र. 02-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दतिया  
(ख) तहसील—दतिया

- (ग) ग्राम—बसवाहा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.54 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)

481	0.05
482	0.04
496	0.22
497	0.23

योग. . . 0.54

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दतिया-भाण्डेर मार्ग पर ग्राम बसवाहा में (एम.डी.आर.) टोल प्लाजा के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**संकेत भोंडवे**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 जुलाई 2013

क्र. 7084-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम खमरा, प. ह. नं. 57,  
ब. नं. 90, रा. नि. मंडल—छिन्दवाड़ा-1  
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —01.057 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

38	0.178
145	0.045
144	0.082

(1)	(2)	(ग) नगर/ग्राम—ग्राम सलैया, प. ह. नं. 08, ब. नं. 540, रा. नि. मंडल-छिंदवाड़ा-1	(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —04.886 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
149	0.004	प्रस्तावित	प्रस्तावित रकबा
150/1, 2	0.168	खसरा नंबर	(हेक्टेयर में)
242/2	0.054	(1)	(2)
263	0.150	213/1	0.014
261/1	0.058	213/2	0.010
261/2	0.040	215/1	0.770 छीन्द-01, बेहड़ा-01
260/1	0.030	215/2	0.820 पलसा-03, बबूल-01, बेहड़ा-01
260/2	0.078	215/3	0.607 सुबबूल-02, बेर-01, सागौन-01, कुंआ-01.
247	0.170	215/4	0.041
योग .	<u>01.057</u>	215/5	0.809 बबूल-04, कुंआ-01
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—सत्तीधार जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.		215/6	0.964 कुंआ-01, जाम-01, बबूल-01, पलसा-02
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.		215/8	0.010
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.		215/9	0.364 बेहड़ा-01, पलसा-01, गुरार-01, कुंआ-01
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कन्हरगांव, नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिंदवाड़ा जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.		215/10	0.477 कौआ-01, पलसा-02
		योग .	<u>04.886</u>

क्र. 7085-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—सत्तीधार जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कन्हरगांव, नहर उपसंभाग क्रमांक-2, छिंदवाड़ा जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
महेश चन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्र. 479-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन  
(ख) तहसील—कसरावद  
(ग) ग्राम—लेण्डीपुरा  
(घ) रकबा—3.585 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
174	0.390
135	0.010
136	0.150
172/3/1	0.225
121	0.090
122	0.070
108/4	0.010
108/5	0.075
108/3	0.070
107/9	0.095
107/7	0.095
107/6	0.090
105/3	0.110
85/2	0.125
86/1	0.060
89	0.055

(1)	(2)
62/1	0.460
64/1	0.170
64/2	0.310
65/1	0.110
65/2	0.020
64/3	0.050
67/2	0.205
67/1	0.190
61/3/6	0.040
61/3/7	0.085
61/3/8	0.075
61/3/9	0.085
61/3/10	0.065
योग.	<u>3.585</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 480-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन  
(ख) तहसील—कसरावद  
(ग) ग्राम—अदलपुरा  
(घ) रकबा—0.530 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
52/1	0.220
55	0.215
56/1	0.095
योग.	<u>0.530</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.



(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 481-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन  
(ख) तहसील—कसरावद  
(ग) ग्राम—औरंगपुरा  
(घ) रकबा—4.075 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)
5	0.295
6	0.320
9	0.170
28	0.760
29/1	0.080
29/2	0.100
30	0.200
32	0.180
40	0.145
43/2	0.020
60	0.100
63/1	0.225
62	0.130
63/2	0.200
64	0.125
65	0.225
98	0.155
99	0.060
130/2	0.130
130/1	0.050
129	0.240
119	0.125
142/3	0.040
योग.	<u>4.075</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 482-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन  
(ख) तहसील—कसरावद  
(ग) ग्राम—जरोली  
(घ) क्षेत्रफल—2.590 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)
5/4	0.320
10/2	0.070
8/1	0.035
5/289/1	0.150
5/289/2	0.150
9/1	0.070
52/1	0.115
102/2	0.120
196/3	0.035
203/3	0.180
196/4	0.070
196/6	0.070
196/7	0.045
203/1	0.210
203/2	0.065
204/1/1	0.080
204/2/1/2	0.020
204/2/2/2	0.025
204/3	0.200
204/4	0.025
204/2/1	0.125

(1)	(2)
217/1	0.300
196/5/1	0.060
196/5/2	0.050
योग .	<u>2.590</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

(1)	(2)
47/3/3	0.110
47/3/2	0.080
47/4	0.060
31	0.100
योग .	<u>1.920</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 483-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन  
(ख) तहसील—कसरावद  
(ग) ग्राम—मगरखेड़ी  
(घ) रकबा—1.920 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)
171/1	0.035
176/3	0.125
175/1	0.185
50	0.210
49/2	0.250
49/1	0.090
48/2	0.085
47/2/1	0.160
47/1	0.255
48/3	0.040
47/3/1	0.055
47/3/4	0.080

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्र. 1513-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी  
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन  
(ग) ग्राम—नैकिन  
(घ) क्षेत्रफल —0.518 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1243	0.03
1242	0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
1256	0.15	18	0.05
2200	0.05	19	0.03
2201	0.01	21	0.10
2209	0.08	22	0.07
2210	0.005	29	0.01
2188	0.005	20	0.01
2189	0.03	41	0.01
2213	0.07	40	0.02
2214	0.02	38	0.01
2215	0.04	42	0.03
2199	0.02	43	0.02
योग	0.518	44	0.02
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पाथंडा वितरक नहर की माइनरों के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.		50	0.025
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय किया जा सकता है.		48	0.02
		80	0.006
		81	0.006
		168	0.02
क्र. 1515-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		174	0.01
		407	0.06
		404	0.05
		265	0.06
		280	0.04
		281	0.01
		282	0.01
		285	0.02
(1) भूमि का वर्णन—		300/1	0.02
(क) जिला—सीधी		284	0.01
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन		300/2	0.02
(ग) ग्राम—रघुनाथपुर		288	0.01
(घ) क्षेत्रफल —1.594 हेक्टेयर.		298	0.01
खसरा	अर्जित रकबा	1052	0.03
नं.	(हेक्टेयर में)	288	0.01
(1)	(2)	298	0.01
15	0.05	1051	0.02
16	0.03	1048	0.02

(1)	(2)
1131	0.03
1134	0.01
1132	0.02
1033	0.03
1140	0.03
1144	0.01
1145	0.015
1142	0.025
1146	0.02
1147	0.02
1149	0.05
402	0.01
410/1	0.04
403	0.05
404	0.05
406	0.04
1043	0.01
1045	0.02
1049	0.02
1032	0.06
170	0.02
<b>शासकीय भूमि</b>	
69	0.01
145	0.03
195	0.02
207	0.039
योग . .	<u>1.594</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर की पाथंडा वितरक नहर की माइनरों के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 10 जुलाई 2013

प्र. क्र. 01-2011-12-अ-82-कलेक्टर-राजस्व-भू-अर्जन-2011-12-1698.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मुरैना  
(ख) तहसील—अम्बाह  
(ग) नगर/ग्राम—सांगोली  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.33 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2149	0.08
2150	0.046
2151	0.046
2152	0.08
2153	0.08
योग . .	<u>0.33</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—आसन नदी पर सेतु निर्माण के पहुँच मार्ग निर्माण के लिए ग्राम सांगोली की भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर मुरैना, भू-अर्जन अधिकारी अम्बाह या कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण, सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एन. बी. एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(1)	(2)	(3)
1170/2/1	0.040	निजी भूमि
1174	0.020	निजी भूमि

पन्ना, दिनांक 10 जून 2013

प्र. क्र. 001-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवाई) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—देवेन्द्रनगर
- (ग) ग्राम—गढ़ीपडरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.480 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
5/1	0.100	निजी भूमि
12/1	0.020	निजी भूमि
12/2	0.030	निजी भूमि
13	0.040	निजी भूमि
18	0.390	निजी भूमि
19	0.540	निजी भूमि
1177	0.020	निजी भूमि
1178	0.020	निजी भूमि
1179	0.010	निजी भूमि
20/1/1	0.060	निजी भूमि
21/1	0.230	निजी भूमि
22	0.140	निजी भूमि
20/2/1	0.250	निजी भूमि
20/2/2	0.520	निजी भूमि
24	0.670	निजी भूमि
27	0.090	निजी भूमि
894/1	0.080	निजी भूमि
895/1	0.070	निजी भूमि
30/3/1	1.100	निजी भूमि
1159	0.040	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . . 4.480

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—वृन्दावन तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 018-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
- (ख) तहसील—शाहनगर
- (ग) ग्राम—सलैया फेरन सिंह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—9.53 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
1172	0.14	निजी भूमि
1173	0.08	निजी भूमि
1174	0.05	निजी भूमि
1175	0.05	निजी भूमि
1160	0.05	निजी भूमि
1166	0.08	निजी भूमि
1167	0.12	निजी भूमि
1168	0.07	निजी भूमि
1169	0.12	निजी भूमि
1171	0.18	निजी भूमि
1181	0.03	निजी भूमि
1182	0.04	निजी भूमि
1180	0.05	निजी भूमि
1176	0.08	निजी भूमि
1179	0.05	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1158	0.06	निजी भूमि	1662	0.03	निजी भूमि
1170	0.14	निजी भूमि	1669	0.72	निजी भूमि
1610	0.07	निजी भूमि	1613	0.14	निजी भूमि
1615	0.20	निजी भूमि	1614	0.25	निजी भूमि
1664	0.11	निजी भूमि	1612	0.24	निजी भूमि
1665	0.17	निजी भूमि	1696	0.06	निजी भूमि
1666	0.24	निजी भूमि	1249	0.10	निजी भूमि
1667	0.24	निजी भूमि	1250	0.23	निजी भूमि
1668	0.21	निजी भूमि	1356	0.14	निजी भूमि
1672	0.10	निजी भूमि	1358	0.17	निजी भूमि
1673	0.19	निजी भूमि	1551	0.16	निजी भूमि
1629	0.06	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . . . 9.53		
1630	0.06	निजी भूमि	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बोरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.		
1631	0.05	निजी भूमि	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.		
1632	0.04	निजी भूमि			
1633	0.05	निजी भूमि			
1634	0.29	निजी भूमि			
1648	0.08	निजी भूमि			
1624	0.04	निजी भूमि			
1625	0.19	निजी भूमि			
1626	0.17	निजी भूमि			
1649	0.05	निजी भूमि			
1650	0.06	निजी भूमि			
1651	0.29	निजी भूमि			
1652	0.10	निजी भूमि			
1617	0.03	निजी भूमि			
1619	0.03	निजी भूमि			
1620	0.04	निजी भूमि			
1621	0.05	निजी भूमि			
1622	0.03	निजी भूमि			
1623	0.19	निजी भूमि			
1653	0.06	निजी भूमि			
1654	0.09	निजी भूमि			
1655	0.07	निजी भूमि			
1656	0.04	निजी भूमि			
1660	0.07	निजी भूमि			
1661	0.19	निजी भूमि			
1663	0.35	निजी भूमि			
1695	0.51	निजी भूमि			
1698	0.23	निजी भूमि			
1699	0.14	निजी भूमि			
1700	0.13	निजी भूमि			
1627	0.50	निजी भूमि			
1628	0.09	निजी भूमि			

प्र. क्र. 019-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—शाहनगर  
(ग) ग्राम—बराहो  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.40 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
845	0.06	निजी भूमि
851/1	0.03	निजी भूमि
881/1	0.04	निजी भूमि
499	0.08	निजी भूमि
531	0.06	निजी भूमि
187	0.05	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
189	0.05	निजी भूमि	103	0.09	निजी भूमि
1173	0.03	निजी भूमि	104	0.09	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि ..	0.40		105	0.07	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—लिपरी			101	0.20	निजी भूमि
तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.			102	0.15	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय			107	2.08	निजी भूमि
पन्ना में किया जा सकता है.			108	0.13	निजी भूमि
			109	0.21	निजी भूमि
			110	0.38	निजी भूमि
प्र. क्र. 020-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को			111	0.14	निजी भूमि
यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित			112	0.56	निजी भूमि
भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन			113	0.02	निजी भूमि
के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894			114	1.97	निजी भूमि
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया			115	1.06	निजी भूमि
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—			116	0.35	निजी भूमि
			117	0.03	निजी भूमि
			118	1.11	निजी भूमि
			120	1.11	निजी भूमि
			119/1	0.85	निजी भूमि
			119/2	0.85	निजी भूमि
			123	0.12	निजी भूमि
			124/1	1.40	निजी भूमि
			124/2	1.40	निजी भूमि
			124/3	1.50	निजी भूमि
			124/4	1.47	निजी भूमि
			125	0.07	निजी भूमि
			124/5	1.00	निजी भूमि
			124/6	1.00	निजी भूमि
			144	0.03	निजी भूमि
			145	0.04	निजी भूमि
			147	0.02	निजी भूमि
			148	0.14	निजी भूमि
			149	0.03	निजी भूमि
			150	0.05	निजी भूमि
			151	0.04	निजी भूमि
			152	0.02	निजी भूमि
			153	0.03	निजी भूमि
			168	0.03	निजी भूमि
			169	0.02	निजी भूमि
			170	0.02	निजी भूमि
			171	0.05	निजी भूमि
			178	0.08	निजी भूमि
			179	0.05	निजी भूमि
			180	0.05	निजी भूमि

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—अर्थाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—30.72 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
43	0.12	निजी भूमि
44	0.18	निजी भूमि
45	0.02	निजी भूमि
46	1.58	निजी भूमि
95	0.13	निजी भूमि
96	0.03	निजी भूमि
84	0.13	निजी भूमि
85	0.14	निजी भूमि
86	0.04	निजी भूमि
87	0.14	निजी भूमि
88	0.12	निजी भूमि
89	0.06	निजी भूमि
93	0.15	निजी भूमि
94	0.11	निजी भूमि
98	0.05	निजी भूमि
99	0.02	निजी भूमि
100	0.13	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
181	0.07	निजी भूमि
182	0.08	निजी भूमि
183	0.06	निजी भूमि
184	0.08	निजी भूमि
155	0.09	निजी भूमि
156	0.07	निजी भूमि
157	0.07	निजी भूमि
158	0.04	निजी भूमि
159	0.06	निजी भूमि
160	0.03	निजी भूमि
162	0.05	निजी भूमि
163	0.06	निजी भूमि
164	0.08	निजी भूमि
165	0.04	निजी भूमि
166	0.09	निजी भूमि
167	0.07	निजी भूमि
172	0.04	निजी भूमि
173	0.10	निजी भूमि
174	0.07	निजी भूमि
161	0.29	निजी भूमि
191	0.04	निजी भूमि
175	0.25	निजी भूमि
176	0.03	निजी भूमि
177	0.71	निजी भूमि
186/2	1.00	निजी भूमि
187	0.76	निजी भूमि
187/3124	0.25	निजी भूमि
188	0.50	निजी भूमि
133	0.11	निजी भूमि
135	0.31	निजी भूमि
137	0.12	निजी भूमि
146	0.24	निजी भूमि
192/5	0.20	निजी भूमि
192/1	0.70	निजी भूमि
192/2	0.70	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . .	30.72	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—उमेही नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 027-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
 (ख) तहसील—शाहनगर  
 (ग) ग्राम—लमतारा  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.80 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
3837	0.50	निजी भूमि
3838/1	0.17	निजी भूमि
3838/2	0.13	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . .	0.80	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—हरदुआ मेंमारी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 029-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
 (ख) तहसील—अजयगढ़  
 (ग) ग्राम—हनुमतपुर टौरिया  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—17.430 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
4	0.050	निजी भूमि
5	0.110	निजी भूमि



(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
6	0.420	निजी भूमि	300	0.100	निजी भूमि
7	0.140	निजी भूमि	301	0.040	निजी भूमि
8	0.050	निजी भूमि	303	0.040	निजी भूमि
9	0.140	निजी भूमि	304	0.170	निजी भूमि
10	0.120	निजी भूमि	305	0.370	निजी भूमि
11	0.140	निजी भूमि	307/1	0.200	निजी भूमि
12	0.410	निजी भूमि	314	0.110	निजी भूमि
14	0.610	निजी भूमि	315	0.190	निजी भूमि
15	0.260	निजी भूमि	316	0.010	निजी भूमि
16	0.100	निजी भूमि	318	0.090	निजी भूमि
19	0.140	निजी भूमि	319	0.120	निजी भूमि
20	0.040	निजी भूमि	320	0.180	निजी भूमि
21	0.070	निजी भूमि	321	0.060	निजी भूमि
22	0.180	निजी भूमि	325	0.140	निजी भूमि
23	0.060	निजी भूमि	327	0.180	निजी भूमि
27	0.030	निजी भूमि	328	0.010	निजी भूमि
132	0.450	निजी भूमि	331/3	0.180	निजी भूमि
133	0.050	निजी भूमि	331/4	0.190	निजी भूमि
134	0.080	निजी भूमि	334	0.300	निजी भूमि
135	0.040	निजी भूमि	335	0.040	निजी भूमि
136	0.560	निजी भूमि	336	0.280	निजी भूमि
137	0.120	निजी भूमि	337	0.100	निजी भूमि
138	0.080	निजी भूमि	338	0.670	निजी भूमि
139	0.090	निजी भूमि	341	0.300	निजी भूमि
140	0.070	निजी भूमि	342	0.540	निजी भूमि
141	0.200	निजी भूमि	343	0.340	निजी भूमि
1444	0.840	निजी भूमि	344	0.150	निजी भूमि
146	0.380	निजी भूमि	346	0.400	निजी भूमि
148	0.250	निजी भूमि	349	0.520	निजी भूमि
254	1.420	निजी भूमि	1041	0.110	निजी भूमि
255	0.090	निजी भूमि	1042	0.090	निजी भूमि
264	0.050	निजी भूमि	1043/1	0.360	निजी भूमि
278	0.040	निजी भूमि	1043/2		निजी भूमि
279	0.030	निजी भूमि	1045	0.420	निजी भूमि
288	0.030	निजी भूमि	1056	0.030	निजी भूमि
289	0.310	निजी भूमि	1057	0.150	निजी भूमि
290	0.030	निजी भूमि	1058	0.610	निजी भूमि
291	0.190	निजी भूमि	1067	0.010	निजी भूमि
292	0.050	निजी भूमि	1068	0.020	निजी भूमि
293	0.020	निजी भूमि	1442/349	0.020	निजी भूमि
294	0.230	निजी भूमि	1441/16	0.120	निजी भूमि
295	0.130	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . .	17.430	
296	0.040	निजी भूमि	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. — मझगाँव	
297	0.150	निजी भूमि		मध्यम परियोजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.	
298	0.050	निजी भूमि	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय	
299	0.330	निजी भूमि		पन्ना में किया जा सकता है.	

प्र. क्र. 035-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—शाहनगर  
(ग) ग्राम—टूँडा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.56 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
333	0.08	निजी भूमि
378	0.24	निजी भूमि
1086/321	1.40	निजी भूमि
1068/306	0.08	निजी भूमि
1071/309	0.13	निजी भूमि
1069/310	0.03	निजी भूमि
1070/309	0.04	निजी भूमि
939	0.16	निजी भूमि
1012/1	1.00	निजी भूमि
352/1	0.40	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . 3.56

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—लिपरी तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 039-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—अमानगंज

- (ग) ग्राम—पगरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.21 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1341	0.14	निजी भूमि
2817	0.07	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	0.21	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पगरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 042-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—अमानगंज  
(ग) ग्राम—पगरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.12 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1357	0.04	निजी भूमि
1299	0.08	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	0.12	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पगरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 046-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित

भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—गुनौर  
(ग) ग्राम—पड़ेरी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.975 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1354/2	0.130	निजी भूमि
1355	0.160	निजी भूमि
1378	0.190	निजी भूमि
1379/1	0.160	निजी भूमि
1379/2	0.150	निजी भूमि
1213	0.095	निजी भूमि
1215	0.090	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>0.975</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिली तालाब योजना के अन्तर्गत बाँध निर्माण कार्य हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 047-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—पन्ना

- (ग) ग्राम—पहाड़ीखेरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.120 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
386/1	0.060	निजी भूमि
386/2	0.060	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>0.120</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पहाड़ीखेरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 049-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—अमानगंज  
(ग) ग्राम—द्वारी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.180 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
203	0.180	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>0.180</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—द्वारी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 053-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—अमानगंज  
(ग) ग्राम—हिनौती  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.510 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
1653/2	0.120	निजी भूमि
1653/1	0.200	निजी भूमि
1647	0.110	निजी भूमि
1654/1	0.080	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	0.510	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पन्ना अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 054-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—अमानगंज  
(ग) ग्राम—पिपरवाह  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.320 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
1390	0.010	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
1276	0.050	निजी भूमि
1379	0.150	निजी भूमि
1373	0.030	निजी भूमि
1372/1	0.010	निजी भूमि
1372/2	0030	निजी भूमि
1344	0.050	निजी भूमि
1328	0.320	निजी भूमि
1342	0.010	निजी भूमि
1327/1	0.040	निजी भूमि
1329	0.050	निजी भूमि
1326/1	0.240	निजी भूमि
1275	0.080	निजी भूमि
1343	0.200	निजी भूमि
1377	0.020	निजी भूमि
1362	0.010	निजी भूमि
1363	0.010	निजी भूमि
1371	0.010	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	1.320	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पन्ना अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 055-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—अमानगंज  
(ग) ग्राम—पतारा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.265 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
345/2	0.250	निजी भूमि
448	0.099	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
346	0.343	निजी भूमि
347	0.007	निजी भूमि
348	0.393	निजी भूमि
447/2	0.163	निजी भूमि
352	0.010	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>1.265</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पन्ना-अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 056-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—अमानगंज  
(ग) ग्राम—सिरी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.345 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
2892	0.345	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>0.345</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पन्ना-अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 130-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन

के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—अमानगंज  
(ग) ग्राम—मेहगवाँखुर्द  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.199 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
162	0.028	निजी भूमि
161	0.294	निजी भूमि
163	0.019	निजी भूमि
159/1	0.080	निजी भूमि
167	0.340	निजी भूमि
172	0.010	निजी भूमि
174	0.224	निजी भूमि
175	0.160	निजी भूमि
177	0.180	निजी भूमि
180	0.036	निजी भूमि
179	0.005	निजी भूमि
181/1	0.007	निजी भूमि
181/2	0.007	निजी भूमि
112	0.032	निजी भूमि
108	0.067	निजी भूमि
109	0.082	निजी भूमि
110	0.012	निजी भूमि
100	0.108	निजी भूमि
101	0.034	निजी भूमि
102	0.167	निजी भूमि
260	0.013	निजी भूमि
259	0.113	निजी भूमि
258	0.078	निजी भूमि
257	0.010	निजी भूमि
320	0.203	निजी भूमि
319	0.014	निजी भूमि
303	0.261	निजी भूमि
304	0.040	निजी भूमि
305	0.010	निजी भूमि
168	0.060	निजी भूमि
165	0.010	निजी भूमि
152	0.050	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
153	0.035	निजी भूमि	92/168/2	0.22	निजी भूमि
10	0.020	निजी भूमि	91/2	0.04	निजी भूमि
7	0.096	निजी भूमि	92/168/3	0.04	निजी भूमि
12	0.065	निजी भूमि	92/168/1	0.09	निजी भूमि
302	0.010	निजी भूमि	106	0.64	निजी भूमि
154	0.039	निजी भूमि	110/1	0.07	निजी भूमि
9	0.010	निजी भूमि	112	0.64	निजी भूमि
182/1		निजी भूमि	113	0.60	निजी भूमि
182/2	0.170	निजी भूमि	114/1	0.03	निजी भूमि
182/3		निजी भूमि	120/1	0.04	निजी भूमि
182/4		निजी भूमि			
कुल रकबा निजी भूमि . . . 3.199			कुल रकबा निजी भूमि . . . 5.26		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जसवन्तपुरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रायपुर तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 131-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—अजयगढ़  
(ग) ग्राम—रायपुर टपरियन  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.26 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
63	0.05	निजी भूमि
65/1	0.28	निजी भूमि
82/1	0.13	निजी भूमि
87/1	0.80	निजी भूमि
88/1	0.38	निजी भूमि
93/1	0.76	निजी भूमि
91/3	0.45	निजी भूमि

प्र. क्र. 143-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—अजयगढ़  
(ग) ग्राम—बरियारपुर कुर्मियान  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.718 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
357	0.020	निजी भूमि
327	1.140	निजी भूमि
328	0.040	निजी भूमि
330	1.590	निजी भूमि
334	0.250	निजी भूमि
324	0.210	निजी भूमि
318	1.030	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—		
326	0.110	निजी भूमि	अनुसूची		
358	0.530	निजी भूमि			
354	0.450	निजी भूमि	(1) भूमि का वर्णन—		
360	0.160	निजी भूमि	(क) जिला—पन्ना		
335	0.060	निजी भूमि	(ख) तहसील—अजयगढ़		
331	0.350	निजी भूमि	(ग) ग्राम—भैरहा		
349/1	0.040	निजी भूमि	(घ) लगभग क्षेत्रफल—44.35 हेक्टेयर.		
336	0.060	निजी भूमि	खसरा	कुल अर्जित रकबा	भूमि का
337	0.240	निजी भूमि	नम्बर	(हेक्टेयर में)	प्रकार
352	0.060	निजी भूमि	(1)	(2)	(3)
338	0.070	निजी भूमि	363/1	1.50	निजी भूमि
341	0.820	निजी भूमि	363/2	0.89	निजी भूमि
384	0.080	निजी भूमि	41	0.62	निजी भूमि
355	0.210	निजी भूमि	364	1.05	निजी भूमि
332	0.020	निजी भूमि	358/1/क/1	0.08	निजी भूमि
333	0.300	निजी भूमि	358/2	0.41	निजी भूमि
339	0.150	निजी भूमि	357/1	0.03	निजी भूमि
350	0.070	निजी भूमि	55/1	1.04	निजी भूमि
320	0.050	निजी भूमि	359	0.45	निजी भूमि
322	0.060	निजी भूमि	356	1.05	निजी भूमि
385/1	1.250	निजी भूमि	56	0.30	निजी भूमि
385/2		निजी भूमि	57	0.27	निजी भूमि
329	0.010	निजी भूमि	59	0.42	निजी भूमि
325/1	0.029	निजी भूमि	61/1	0.13	निजी भूमि
325/2	0.043	निजी भूमि	64	0.11	निजी भूमि
325/3	0.043	निजी भूमि	61/2	0.28	निजी भूमि
325/4	0.043	निजी भूमि	60	1.12	निजी भूमि
316	0.080	निजी भूमि	58/1	0.54	निजी भूमि
317	0.050	निजी भूमि	58/2	0.27	निजी भूमि
			66	0.19	निजी भूमि
			67	0.19	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	9.718		358/1/क/2	0.80	निजी भूमि
			358/1/क/3	0.160	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रानीपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.			358/1/ख	0.41	निजी भूमि
			36/2	0.30	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.			36/1	0.02	निजी भूमि
			36/3	0.23	निजी भूमि
			39	0.04	निजी भूमि
			34	0.43	निजी भूमि
			37	0.29	निजी भूमि
			38	0.20	निजी भूमि
			33	0.33	निजी भूमि
			45	0.15	निजी भूमि

प्र. क्र. 144-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
40/1	0.49	निजी भूमि	14	0.18	निजी भूमि
32/1	0.34	निजी भूमि	19	0.11	निजी भूमि
43	0.34	निजी भूमि	23/1	0.11	निजी भूमि
40/2	0.48	निजी भूमि	29	0.21	निजी भूमि
62	0.76	निजी भूमि	51	0.09	निजी भूमि
63	0.15	निजी भूमि	74	0.19	निजी भूमि
68/1	0.23	निजी भूमि	88	0.42	निजी भूमि
72	0.07	निजी भूमि	5	0.13	निजी भूमि
78/1	0.13	निजी भूमि	10	0.47	निजी भूमि
79/1	0.42	निजी भूमि	12	0.19	निजी भूमि
24/1	0.28	निजी भूमि	16	0.18	निजी भूमि
25	0.26	निजी भूमि	17	0.10	निजी भूमि
68/2	0.24	निजी भूमि	50	0.13	निजी भूमि
70	0.22	निजी भूमि	75	0.27	निजी भूमि
78/2	0.14	निजी भूमि	82	0.22	निजी भूमि
79/2	0.41	निजी भूमि	86	0.40	निजी भूमि
9	0.60	निजी भूमि	18	0.09	निजी भूमि
26	0.26	निजी भूमि	21	0.04	निजी भूमि
28	0.05	निजी भूमि	76	0.39	निजी भूमि
47	0.29	निजी भूमि	89	0.52	निजी भूमि
48	0.56	निजी भूमि	91	0.19	निजी भूमि
49	0.60	निजी भूमि	100	0.85	निजी भूमि
52	0.09	निजी भूमि	101	0.44	निजी भूमि
69	0.18	निजी भूमि	103	0.05	निजी भूमि
71	0.13	निजी भूमि	104	1.05	निजी भूमि
77	0.50	निजी भूमि	105	0.07	निजी भूमि
80	0.21	निजी भूमि	106	0.27	निजी भूमि
3	0.25	निजी भूमि	116	0.15	निजी भूमि
20	0.13	निजी भूमि	133	0.20	निजी भूमि
27	0.83	निजी भूमि	134	0.01	निजी भूमि
46	0.32	निजी भूमि	135	0.15	निजी भूमि
73	0.21	निजी भूमि	108	0.22	निजी भूमि
83	0.30	निजी भूमि	109	0.15	निजी भूमि
84	0.35	निजी भूमि	94/1	0.19	निजी भूमि
90	0.51	निजी भूमि	95/2	0.15	निजी भूमि
15	0.20	निजी भूमि	30	0.43	निजी भूमि
22	0.20	निजी भूमि	42	0.30	निजी भूमि
81	0.31	निजी भूमि	13	0.57	निजी भूमि
11	0.13	निजी भूमि	65	0.06	निजी भूमि
32/2	0.35	निजी भूमि	94/2	0.36	निजी भूमि
55/2	0.16	निजी भूमि	95/1	0.36	निजी भूमि
85	0.54	निजी भूमि	96	0.07	निजी भूमि
87	0.92	निजी भूमि	107	0.58	निजी भूमि
920	0.10	निजी भूमि	97	0.17	निजी भूमि
93	0.21	निजी भूमि	98/1	0.12	निजी भूमि
4	0.13	निजी भूमि	98/2	0.08	निजी भूमि
			99	0.38	निजी भूमि



(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
6/1	0.34	निजी भूमि	8	0.003	निजी भूमि
23/2	0.08	निजी भूमि	9	0.105	निजी भूमि
24/2	0.02	निजी भूमि	10	0.015	निजी भूमि
53	0.09	निजी भूमि	11	0.110	निजी भूमि
54/2	0.01	निजी भूमि	12	0.010	निजी भूमि
355/2	0.15	निजी भूमि	13	0.050	निजी भूमि
44	0.15	निजी भूमि	274	0.500	निजी भूमि
473	1.47	निजी भूमि	276/1	0.630	निजी भूमि
6/2	0.79	निजी भूमि	276/2		निजी भूमि
8	0.06	निजी भूमि	277	1.920	निजी भूमि
125/1/क		निजी भूमि	278/1	0.900	निजी भूमि
125/1/ख	0.20	निजी भूमि	278/2		निजी भूमि
125/1/ग		निजी भूमि	282	0.645	निजी भूमि
125/2		निजी भूमि	283	0.800	निजी भूमि
126/1		निजी भूमि	290	0.005	निजी भूमि
126/2	0.05	निजी भूमि	291	0.050	निजी भूमि
126/3		निजी भूमि	292	0.018	निजी भूमि
126/4		निजी भूमि			
कुल रकबा निजी भूमि . . 44.35			कुल रकबा निजी भूमि . . 5.786		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रानीपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—देवरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 145-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—देवेन्द्र नगर  
(ग) ग्राम—कुलुवा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.786 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
6	0.010	निजी भूमि
7	0.015	निजी भूमि

प्र. क्र. 147-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—अमानगंज  
(ग) ग्राम—देवरी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.830 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
2	0.820	निजी भूमि
3	0.050	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
4/1	0.320	निजी भूमि	1426/1	0.15	निजी भूमि
4/2	0.320	निजी भूमि	1425	0.61	निजी भूमि
5	0.490	निजी भूमि	1424/1	0.09	निजी भूमि
6	0.520	निजी भूमि	1423/1	0.04	निजी भूमि
7	0.470	निजी भूमि	1422	0.33	निजी भूमि
8/1	0.220	निजी भूमि	1429/1	0.68	निजी भूमि
8/2	0.220	निजी भूमि	1428/1	0.30	निजी भूमि
9	0.150	निजी भूमि	1415	0.45	निजी भूमि
10	0.300	निजी भूमि	1414	0.01	निजी भूमि
123	0.450	निजी भूमि	1413	0.20	निजी भूमि
127/1	0.160	निजी भूमि	1412	0.17	निजी भूमि
127/2	0.190	निजी भूमि	1411	0.38	निजी भूमि
127/3	0.150	निजी भूमि	1410	0.62	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . .	4.830		1409/1	0.05	निजी भूमि
			1398	1.26	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—देवरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.			1399	0.04	निजी भूमि
			1400	1.81	निजी भूमि
			1405/1	0.96	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.			1406	0.57	निजी भूमि
			1407/1	0.55	निजी भूमि
			1408	0.39	निजी भूमि
प्र. क्र. 149-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—			1409/2	0.04	निजी भूमि
			1430	0.75	निजी भूमि
			1431	0.12	निजी भूमि
			1377/2	0.75	निजी भूमि
			1404	0.54	निजी भूमि
			1403	0.41	निजी भूमि
			1377/1	0.24	निजी भूमि
			1370	0.06	निजी भूमि
			1371/1	0.01	निजी भूमि
			1372/1	0.06	निजी भूमि
			1373/1	0.05	निजी भूमि
			1374	0.03	निजी भूमि
			1375	0.05	निजी भूमि
			1376	0.17	निजी भूमि
			1340	0.03	निजी भूमि
			1341/1	0.42	निजी भूमि
			1366/1	0.01	निजी भूमि
			1365/1	0.13	निजी भूमि
			1342	0.13	निजी भूमि
			1343	0.10	निजी भूमि
			1364	0.04	निजी भूमि
			1344	0.03	निजी भूमि
			1345	0.14	निजी भूमि
खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)			
1419	1.67	निजी भूमि			
1420	1.70	निजी भूमि			
1417	0.14	निजी भूमि			
1416/1	0.48	निजी भूमि			
1427	0.20	निजी भूमि			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1333/1	0.10	निजी भूमि	770/1	0.39	निजी भूमि
1335	0.75	निजी भूमि	769	0.04	निजी भूमि
766/2	0.17	निजी भूमि	768	0.87	निजी भूमि
1330	0.28	निजी भूमि	1270	0.49	निजी भूमि
1331/1	0.02	निजी भूमि	1271	0.47	निजी भूमि
1332	0.03	निजी भूमि	1273	0.75	निजी भूमि
1338/1	0.04	निजी भूमि	1274	0.53	निजी भूमि
1337/1	0.22	निजी भूमि	1275	0.44	निजी भूमि
1323/1	0.03	निजी भूमि	1373/2	0.02	निजी भूमि
1324	0.06	निजी भूमि	1265	0.08	निजी भूमि
1325/1	0.04	निजी भूमि	1373/3	0.02	निजी भूमि
1326	0.10	निजी भूमि	1429/2	0.22	निजी भूमि
1327	0.09	निजी भूमि	1445	0.24	निजी भूमि
1328	0.08	निजी भूमि	1372/2	0.13	निजी भूमि
1329/1	0.16	निजी भूमि	1405/2	0.96	निजी भूमि
1321	0.03	निजी भूमि	1451	0.06	निजी भूमि
1322	0.04	निजी भूमि	1450	0.03	निजी भूमि
1320	0.05	निजी भूमि	1449	0.80	निजी भूमि
1319	0.08	निजी भूमि	1458/3	0.28	निजी भूमि
1318/1	0.02	निजी भूमि	1442	0.55	निजी भूमि
1317	0.06	निजी भूमि	1441	0.56	निजी भूमि
1316	0.31	निजी भूमि	1440	0.88	निजी भूमि
1315	0.13	निजी भूमि	1436/1	1.19	निजी भूमि
1314	0.12	निजी भूमि	1458/2	0.29	निजी भूमि
1280/1	0.38	निजी भूमि	1438	0.22	निजी भूमि
1281/1	0.19	निजी भूमि	1435	0.67	निजी भूमि
1282/1	0.09	निजी भूमि	1460/1	0.62	निजी भूमि
1283	0.08	निजी भूमि	1460/2	0.62	निजी भूमि
1284	0.06	निजी भूमि	1455	0.11	निजी भूमि
1285/1	0.07	निजी भूमि	1456	0.15	निजी भूमि
765/2	0.02	निजी भूमि	1457	0.39	निजी भूमि
1277	0.08	निजी भूमि	1458/1	0.10	निजी भूमि
1278	0.15	निजी भूमि	1459	0.05	निजी भूमि
750	0.26	निजी भूमि	1371/2	0.02	निजी भूमि
742/1	0.12	निजी भूमि	1461	0.05	निजी भूमि
743/1	0.12	निजी भूमि	1463	0.25	निजी भूमि
744	0.38	निजी भूमि	1464	0.03	निजी भूमि
745	0.03	निजी भूमि	1434	0.28	निजी भूमि
747	0.46	निजी भूमि	1423/2	0.04	निजी भूमि
746	0.04	निजी भूमि	1424/2	0.12	निजी भूमि
765/1	0.02	निजी भूमि	1426/2	0.39	निजी भूमि
764	0.07	निजी भूमि	1427/2	0.48	निजी भूमि
766/1	0.17	निजी भूमि	1427/3	0.20	निजी भूमि
1407/2	1.02	निजी भूमि	1428/2	0.18	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1280/2	0.52	निजी भूमि	1502	0.08	निजी भूमि
1281/2	0.11	निजी भूमि	1503	0.94	निजी भूमि
1281/3	0.20	निजी भूमि	1504	0.21	निजी भूमि
1282/2	0.08	निजी भूमि	1499	0.28	निजी भूमि
1285/2	0.07	निजी भूमि	1506	0.01	निजी भूमि
742/2	0.12	निजी भूमि	1507	0.19	निजी भूमि
1341/2	0.33	निजी भूमि	1508	0.04	निजी भूमि
1341/3	0.42	निजी भूमि	1509	0.06	निजी भूमि
1365/2	0.07	निजी भूमि	1510	0.01	निजी भूमि
1333/2	0.10	निजी भूमि	1519	1.52	निजी भूमि
1333/3	0.11	निजी भूमि	1416/2	0.32	निजी भूमि
1331/2	0.03	निजी भूमि	1505	0.41	निजी भूमि
1337/2	0.18	निजी भूमि	1511	0.20	निजी भूमि
1337/3	0.31	निजी भूमि	1512	0.13	निजी भूमि
1338/2	0.33	निजी भूमि	1513	0.11	निजी भूमि
1325/2	0.07	निजी भूमि	1514	0.17	निजी भूमि
1329/2	0.08	निजी भूमि	1516	0.03	निजी भूमि
770/2	0.29	निजी भूमि	1517	0.82	निजी भूमि
1436/2	0.33	निजी भूमि	1520	0.08	निजी भूमि
1452/1	0.02	निजी भूमि	1515	0.05	निजी भूमि
1453	1.07	निजी भूमि	1472	0.21	निजी भूमि
1454/1	0.28	निजी भूमि	1473	0.02	निजी भूमि
1465	0.35	निजी भूमि	1474	0.14	निजी भूमि
1466	0.50	निजी भूमि	1481	0.58	निजी भूमि
1467/1	0.10	निजी भूमि	1479	0.48	निजी भूमि
1468/1	0.06	निजी भूमि	1480	0.07	निजी भूमि
1469	0.06	निजी भूमि	1482	0.08	निजी भूमि
1470	0.08	निजी भूमि	1483	0.72	निजी भूमि
1471	1.11	निजी भूमि	1478	0.02	निजी भूमि
1433	0.60	निजी भूमि	1475	0.21	निजी भूमि
1452/2	0.02	निजी भूमि	1484	0.02	निजी भूमि
1452/3	0.02	निजी भूमि	1485	0.10	निजी भूमि
1452/4	0.03	निजी भूमि	1489/2	0.05	निजी भूमि
1454/2	0.40	निजी भूमि	1488	0.26	निजी भूमि
1454/3	0.40	निजी भूमि	1489/1	0.89	निजी भूमि
1467/2	0.17	निजी भूमि	1490	0.09	निजी भूमि
1467/3	0.17	निजी भूमि	1491	0.96	निजी भूमि
1467/4	0.11	निजी भूमि	1492	0.34	निजी भूमि
1468/2	0.06	निजी भूमि	1493	1.29	निजी भूमि
1500	0.16	निजी भूमि	1494	0.04	निजी भूमि
1501	0.25	निजी भूमि	1495	0.03	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1496	0.15	निजी भूमि	3348	0.70	निजी भूमि
1497	0.14	निजी भूमि	3349	0.05	निजी भूमि
1498	0.16	निजी भूमि	3360	1.06	निजी भूमि
1263	0.50	निजी भूमि	3361	0.10	निजी भूमि
749/1	0.36	निजी भूमि	3365	0.24	निजी भूमि
749/2	0.36	निजी भूमि	3363	0.98	निजी भूमि
1323/2	0.07	निजी भूमि	3366	0.13	निजी भूमि
1323/3	0.07	निजी भूमि	3367	0.58	निजी भूमि
1323/4	0.07	निजी भूमि	3368	0.51	निजी भूमि
1318/2	0.06	निजी भूमि	3371	0.24	निजी भूमि
743/2	0.12	निजी भूमि	3372	0.36	निजी भूमि
748	0.02	निजी भूमि	3373	0.50	निजी भूमि
1476	0.01	निजी भूमि	3374	0.10	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . .	64.36		3375	0.12	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिमरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.			3376	0.12	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.			3377	0.26	निजी भूमि
			3378	0.23	निजी भूमि
			3379	0.21	निजी भूमि
			3380	0.30	निजी भूमि
प्र. क्र. 150-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—			3458	0.24	निजी भूमि
			3480/1	0.02	निजी भूमि
			3481	0.17	निजी भूमि
			3482	0.27	निजी भूमि
			3483	0.03	निजी भूमि
			3484/1	0.24	निजी भूमि
			3485	0.39	निजी भूमि
			3486	0.28	निजी भूमि
			3487	0.15	निजी भूमि
(1) भूमि का वर्णन—			3488	0.24	निजी भूमि
(क) जिला—पन्ना			3489	0.13	निजी भूमि
(ख) तहसील—गुनौर			3490	0.05	निजी भूमि
(ग) ग्राम—कठवरिया			3491	0.02	निजी भूमि
(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.89 हेक्टेयर.			3492	0.21	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	3493	0.02	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	3494	0.08	निजी भूमि
3342	0.31	निजी भूमि	3495	0.24	निजी भूमि
3343	0.01	निजी भूमि	3496	0.15	निजी भूमि
3344	0.28	निजी भूमि	3497	0.06	निजी भूमि
3345	0.60	निजी भूमि	3476	0.03	निजी भूमि
3346	0.04	निजी भूमि	3499	0.15	निजी भूमि
3347	0.04	निजी भूमि	3503	0.13	निजी भूमि
			3505	0.13	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3506	0.04	निजी भूमि	3465	0.05	निजी भूमि
3507	0.10	निजी भूमि	3455	0.02	निजी भूमि
3508	0.29	निजी भूमि	3480/2	0.02	निजी भूमि
3509	0.10	निजी भूमि	3484/2	0.24	निजी भूमि
3510	0.24	निजी भूमि	3466/2	0.06	निजी भूमि
3511	0.05	निजी भूमि	3457	0.02	निजी भूमि
3512	0.03	निजी भूमि	3456	0.13	निजी भूमि
3513	0.03	निजी भूमि	3479/1	0.39	निजी भूमि
3514	0.06	निजी भूमि	3479/2	0.39	निजी भूमि
3515	0.06	निजी भूमि	3477	0.02	निजी भूमि
3516	0.40	निजी भूमि	3504	0.07	निजी भूमि
3517	0.23	निजी भूमि	3500	0.02	निजी भूमि
3518	0.09	निजी भूमि	3475	0.02	निजी भूमि
3519	0.11	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>17.89</u>	
3520	0.10	निजी भूमि	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिमरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.	
3521	0.09	निजी भूमि	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.	
3522	0.33	निजी भूमि	प्र. क्र. 151-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—		
3523	0.23	निजी भूमि	<b>अनुसूची</b>		
3524	0.22	निजी भूमि	(1) भूमि का वर्णन—		
3525	0.10	निजी भूमि	(क) जिला—पन्ना		
3478	0.10	निजी भूमि	(ख) तहसील—गुनौर		
3526	0.18	निजी भूमि	(ग) ग्राम—तुर्काताल		
3527	0.04	निजी भूमि	(घ) लगभग क्षेत्रफल—43.42 हेक्टेयर.		
3528	0.20	निजी भूमि	खसरा	कुल अर्जित रकबा	भूमि का
3468	0.11	निजी भूमि	नम्बर	(हेक्टेयर में)	प्रकार
3467	0.20	निजी भूमि	(1)	(2)	(3)
3459	0.10	निजी भूमि	1/1	0.35	निजी भूमि
3381	0.02	निजी भूमि	1/2	0.20	निजी भूमि
3382	0.27	निजी भूमि	4/2	0.12	निजी भूमि
3383	0.02	निजी भूमि	5	0.02	निजी भूमि
3384	0.09	निजी भूमि	6	0.03	निजी भूमि
3385	0.10	निजी भूमि	7	0.35	निजी भूमि
3436	0.01	निजी भूमि			
3437	0.04	निजी भूमि			
3438	0.08	निजी भूमि			
3439	0.19	निजी भूमि			
3440	0.04	निजी भूमि			
3453	0.01	निजी भूमि			
3460	0.06	निजी भूमि			
3461	0.10	निजी भूमि			
3462	0.02	निजी भूमि			
3466/1	0.06	निजी भूमि			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
8	0.03	निजी भूमि	48	0.09	निजी भूमि
9	0.04	निजी भूमि	49	0.10	निजी भूमि
10	0.45	निजी भूमि	50	0.18	निजी भूमि
11	0.03	निजी भूमि	51	0.07	निजी भूमि
12	0.66	निजी भूमि	52	0.15	निजी भूमि
13	0.06	निजी भूमि	53	0.07	निजी भूमि
14	0.03	निजी भूमि	54/1	0.28	निजी भूमि
15	0.07	निजी भूमि	54/2	0.28	निजी भूमि
16	0.02	निजी भूमि	56	0.07	निजी भूमि
18	0.95	निजी भूमि	57/1क	0.84	निजी भूमि
22	0.80	निजी भूमि	57/1ख	0.30	निजी भूमि
24/1	1.00	निजी भूमि	57/2	1.19	निजी भूमि
25	0.07	निजी भूमि	58	0.13	निजी भूमि
26/1	0.13	निजी भूमि	59	0.07	निजी भूमि
26/2	0.15	निजी भूमि	60	0.05	निजी भूमि
27	0.09	निजी भूमि	61	0.04	निजी भूमि
28/1	0.12	निजी भूमि	62	0.03	निजी भूमि
28/2	0.22	निजी भूमि	64	0.13	निजी भूमि
29	4.77	निजी भूमि	65	0.13	निजी भूमि
30	0.12	निजी भूमि	66	0.36	निजी भूमि
31/1	0.03	निजी भूमि	67	0.32	निजी भूमि
31/2	0.55	निजी भूमि	68	0.02	निजी भूमि
32	0.19	निजी भूमि	69	0.15	निजी भूमि
33	0.06	निजी भूमि	70	0.05	निजी भूमि
34	0.18	निजी भूमि	71	0.90	निजी भूमि
35/1	0.07	निजी भूमि	72/1	0.12	निजी भूमि
35/2	0.20	निजी भूमि	72/2	0.12	निजी भूमि
36	0.05	निजी भूमि	74	1.27	निजी भूमि
37	0.25	निजी भूमि	76/1	0.05	निजी भूमि
38	0.22	निजी भूमि	76/2	0.05	निजी भूमि
39/1	1.62	निजी भूमि	76/3	0.05	निजी भूमि
39/2	0.44	निजी भूमि	77/1	0.76	निजी भूमि
40	0.08	निजी भूमि	77/2	0.78	निजी भूमि
41	0.08	निजी भूमि	77/3	0.77	निजी भूमि
42	0.21	निजी भूमि	79	0.05	निजी भूमि
43	0.07	निजी भूमि	110	0.02	निजी भूमि
44/1	0.12	निजी भूमि	111	0.30	निजी भूमि
44/2	0.12	निजी भूमि	112	0.02	निजी भूमि
45	0.04	निजी भूमि	114	0.41	निजी भूमि
46	0.29	निजी भूमि	115	0.03	निजी भूमि
47	0.12	निजी भूमि	116	0.10	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
117	1.04	निजी भूमि	156	0.21	निजी भूमि
118	0.16	निजी भूमि	157	0.06	निजी भूमि
119	0.16	निजी भूमि	158	0.06	निजी भूमि
120	0.34	निजी भूमि	159	0.13	निजी भूमि
121	0.06	निजी भूमि	160	0.13	निजी भूमि
122	0.48	निजी भूमि	161	0.46	निजी भूमि
123	0.36	निजी भूमि	162	0.26	निजी भूमि
124	0.14	निजी भूमि	163	0.24	निजी भूमि
125/1	0.04	निजी भूमि	164/1	0.95	निजी भूमि
125/2	0.20	निजी भूमि	164/2	1.11	निजी भूमि
126	0.04	निजी भूमि	188	0.11	निजी भूमि
127	0.03	निजी भूमि	189/1	0.22	निजी भूमि
128	0.08	निजी भूमि	189/2	0.23	निजी भूमि
129	0.13	निजी भूमि	190/1	0.16	निजी भूमि
130	0.09	निजी भूमि	190/2	0.16	निजी भूमि
131	0.13	निजी भूमि	190/3	0.16	निजी भूमि
132/1	1.12	निजी भूमि	191	0.21	निजी भूमि
132/2	1.00	निजी भूमि	192	0.21	निजी भूमि
133	0.13	निजी भूमि	193	0.13	निजी भूमि
134	0.09	निजी भूमि	194	0.23	निजी भूमि
135	0.09	निजी भूमि	195	0.23	निजी भूमि
136	0.06	निजी भूमि	196	0.07	निजी भूमि
137	0.15	निजी भूमि	200	0.17	निजी भूमि
138	0.07	निजी भूमि	201	0.13	निजी भूमि
139	0.07	निजी भूमि	205	0.11	निजी भूमि
140	0.05	निजी भूमि	206	0.10	निजी भूमि
141	0.03	निजी भूमि	204	0.09	निजी भूमि
142	0.03	निजी भूमि	202	0.15	निजी भूमि
143	0.02	निजी भूमि	199	0.21	निजी भूमि
144	0.09	निजी भूमि	198	0.08	निजी भूमि
145	0.01	निजी भूमि	197	0.14	निजी भूमि
146	0.03	निजी भूमि	186	0.02	निजी भूमि
147	0.04	निजी भूमि	187	0.04	निजी भूमि
148	0.08	निजी भूमि			
149	1.20	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>43.42</u>	
150	0.10	निजी भूमि			
151	0.05	निजी भूमि	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—सिमरी	तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
152	0.08	निजी भूमि	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय,	पन्ना में किया जा सकता है.
153	1.11	निजी भूमि			
154	0.12	निजी भूमि			
155	0.38	निजी भूमि			



प्र. क्र. 154-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—गुनौर  
(ग) ग्राम—निवहरी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.040 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
259/1	0.200	निजी भूमि
260/1	0.120	निजी भूमि
258/3	0.080	निजी भूमि
258/6	0.500	निजी भूमि
259/6	0.440	निजी भूमि
259/8	0.170	निजी भूमि
259/2	0.400	निजी भूमि
259/3	0.450	निजी भूमि
258/4	0.530	निजी भूमि
260/2	1.090	निजी भूमि
258/1	0.330	निजी भूमि
258/2	0.540	निजी भूमि
255/1	0.450	निजी भूमि
255/2	0.450	निजी भूमि
255/3	0.450	निजी भूमि
255/4	0.450	निजी भूमि
255/5	0.080	निजी भूमि
258/5	0.540	निजी भूमि
258/7	0.640	निजी भूमि
258/8	0.440	निजी भूमि
259/7	0.710	निजी भूमि
193	0.200	निजी भूमि
194	0.260	निजी भूमि
259/4	0.430	निजी भूमि
259/5	0.450	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
260/3	0.640	निजी भूमि
260/4	2.000	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	13.040	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—श्यामरडाडा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 156-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—गुनौर  
(ग) ग्राम—धनोखर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—32.370 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
632	1.500	निजी भूमि
655	2.060	निजी भूमि
656	1.450	निजी भूमि
633	0.330	निजी भूमि
654	1.500	निजी भूमि
634	0.080	निजी भूमि
653	0.100	निजी भूमि
657	0.500	निजी भूमि
764	0.110	निजी भूमि
765	0.100	निजी भूमि
793	2.350	निजी भूमि
631	1.200	निजी भूमि
795	0.050	निजी भूमि
658	0.400	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
659	0.050	निजी भूमि	767/2	0.650	निजी भूमि
761	0.160	निजी भूमि	770	0.490	निजी भूमि
660	1.100	निजी भूमि	771	0.100	निजी भूमि
745	0.200	निजी भूमि	774	0.360	निजी भूमि
746	0.050	निजी भूमि	775	0.390	निजी भूमि
751/1	0.100	निजी भूमि	778	0.330	निजी भूमि
758/1	0.010	निजी भूमि	780	0.260	निजी भूमि
772/1	0.040	निजी भूमि	782	0.180	निजी भूमि
773/1	0.640	निजी भूमि	783	0.210	निजी भूमि
785/1	0.060	निजी भूमि	784	0.220	निजी भूमि
787/1	0.210	निजी भूमि	792/1	0.080	निजी भूमि
929/1	0.080	निजी भूमि	788	0.800	निजी भूमि
930/1	0.460	निजी भूमि	789	0.270	निजी भूमि
931/1	0.040	निजी भूमि	791	0.360	निजी भूमि
758/2	0.010	निजी भूमि	792/2	0.410	निजी भूमि
772/2	0.020	निजी भूमि	842	0.800	निजी भूमि
773/2	0.320	निजी भूमि	843	1.070	निजी भूमि
785/2	0.030	निजी भूमि	844	1.180	निजी भूमि
786/2	0.230	निजी भूमि	851	0.080	निजी भूमि
787/2	0.170	निजी भूमि	852	0.030	निजी भूमि
846	0.060	निजी भूमि	927	0.150	निजी भूमि
847/1	0.070	निजी भूमि	928	0.130	निजी भूमि
850/1	0.020	निजी भूमि	933	0.540	निजी भूमि
929/2	0.040	निजी भूमि	636	0.070	निजी भूमि
930/2	0.230	निजी भूमि	635	0.700	निजी भूमि
931/2	0.030	निजी भूमि	912	0.450	निजी भूमि
759	0.120	निजी भूमि	865	0.150	निजी भूमि
763	0.300	निजी भूमि	913	0.500	निजी भूमि
766	0.100	निजी भूमि	915	0.150	निजी भूमि
767/1	0.560	निजी भूमि	926	0.230	निजी भूमि
768	0.240	निजी भूमि	932	0.100	निजी भूमि
769	0.060	निजी भूमि	797	0.420	निजी भूमि
776	0.360	निजी भूमि	803	0.150	निजी भूमि
786/1	0.480	निजी भूमि	804	0.150	निजी भूमि
787/1ख	0.120	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>32.370</u>	
777	0.500	निजी भूमि	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.— श्यामरडाडा	तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
779	0.150	निजी भूमि	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय,	पन्ना में किया जा सकता है.
760	0.840	निजी भूमि			
762	0.220	निजी भूमि			

प्र. क्र. 159-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

(ग) ग्राम—हथकुरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—42.33 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)	(1)	(2)	(3)
			2306/4	0.02	निजी भूमि
			2305/1	0.32	निजी भूमि
			2305/2	0.40	निजी भूमि
			2307	0.09	निजी भूमि
			2314	0.84	निजी भूमि
			2308	0.27	निजी भूमि
			2309	0.09	निजी भूमि
			2310	0.09	निजी भूमि
			2311	0.27	निजी भूमि
			2351/3	0.35	निजी भूमि
			2315	1.01	निजी भूमि
			2318	0.65	निजी भूमि
			2321/2/2	1.00	निजी भूमि
			2321/3	1.50	निजी भूमि
			2321/4	1.00	निजी भूमि
			2321/5	1.00	निजी भूमि
			2324/1	1.45	निजी भूमि
1094	0.04	निजी भूमि	2324/2	1.56	निजी भूमि
1095	0.02	निजी भूमि	2324/3	1.00	निजी भूमि
1095/2436	0.02	निजी भूमि	2324/4	1.00	निजी भूमि
1097	0.03	निजी भूमि	2324/5	1.00	निजी भूमि
2351/2	0.15	निजी भूमि	2324/6	0.60	निजी भूमि
1998/1	0.03	निजी भूमि	2331	0.70	निजी भूमि
1111	0.15	निजी भूमि	2336/1	1.20	निजी भूमि
1112/2	0.85	निजी भूमि	2336/2	0.80	निजी भूमि
1112/9	0.90	निजी भूमि	2337/1	0.73	निजी भूमि
1112/11	0.40	निजी भूमि	2337/2	0.74	निजी भूमि
1112/10	0.40	निजी भूमि	2337/3	0.73	निजी भूमि
1112/3	1.00	निजी भूमि	2339	0.64	निजी भूमि
2230	0.15	निजी भूमि	2340	1.36	निजी भूमि
2232	0.40	निजी भूमि	2345	1.10	निजी भूमि
2233/2	0.26	निजी भूमि	2346	0.67	निजी भूमि
2234	0.60	निजी भूमि	2347	0.57	निजी भूमि
2292	0.12	निजी भूमि	2348	0.78	निजी भूमि
2294	0.81	निजी भूमि	2349	0.02	निजी भूमि
2302	0.62	निजी भूमि	2350	0.05	निजी भूमि
2303	0.80	निजी भूमि	2351/1	0.51	निजी भूमि
2312	0.91	निजी भूमि	2352	1.00	निजी भूमि
2304/1	0.18	निजी भूमि	2353	1.20	निजी भूमि
2306/1	0.02	निजी भूमि	2371/3	0.31	निजी भूमि
2304/2	0.18	निजी भूमि	2373	1.00	निजी भूमि
1306/2	0.02	निजी भूमि	2372/2	0.57	निजी भूमि
2304/3	0.18	निजी भूमि	2374/1	0.33	निजी भूमि
2306/3	0.02	निजी भूमि	2374/2	0.32	निजी भूमि
2304/4	0.18	निजी भूमि			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2375	0.08	निजी भूमि	2240	1.15	निजी भूमि
2372/1	0.10	निजी भूमि	2238/2	0.70	निजी भूमि
2341	1.87	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . . .	10.03	
कुल रकबा निजी भूमि . . .	42.33				

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हथकुरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—उमेही नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 161-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

प्र. क्र. 163-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

#### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—शाहनगर  
(ग) ग्राम—बीजाखेड़ा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.03 हेक्टर.

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—शाहनगर  
(ग) ग्राम—हरबंशपुरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—31.85 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1907	0.08	निजी भूमि	329	0.35	निजी भूमि
1909	0.11	निजी भूमि	331	0.40	निजी भूमि
2218	0.66	निजी भूमि	337	0.72	निजी भूमि
2233	1.09	निजी भूमि	346	0.39	निजी भूमि
2235	1.00	निजी भूमि	373	0.12	निजी भूमि
2160	0.19	निजी भूमि	376	0.07	निजी भूमि
2181	0.04	निजी भूमि	508	0.09	निजी भूमि
2186	0.10	निजी भूमि	350	0.09	निजी भूमि
2188	0.39	निजी भूमि	353	0.20	निजी भूमि
2189	0.02	निजी भूमि	355	0.16	निजी भूमि
2190	0.03	निजी भूमि	356	0.28	निजी भूमि
2215	0.03	निजी भूमि	386	0.21	निजी भूमि
2237	0.85	निजी भूमि	435	0.33	निजी भूमि
2238/1	0.70	निजी भूमि	440	0.14	निजी भूमि
2239	2.89	निजी भूमि	351	0.58	निजी भूमि
			352	0.14	निजी भूमि
			354	0.15	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
357	0.30	निजी भूमि	477	0.21	निजी भूमि
401	0.08	निजी भूमि	484	0.17	निजी भूमि
441	0.03	निजी भूमि	364	0.55	निजी भूमि
448	0.31	निजी भूमि	396	0.27	निजी भूमि
465	0.04	निजी भूमि	519	0.33	निजी भूमि
526	0.11	निजी भूमि	365	1.12	निजी भूमि
358	0.27	निजी भूमि	368	0.10	निजी भूमि
452	0.08	निजी भूमि	369	0.35	निजी भूमि
464	0.05	निजी भूमि	443	0.46	निजी भूमि
509	0.04	निजी भूमि	370	0.67	निजी भूमि
528	0.22	निजी भूमि	371	0.10	निजी भूमि
533	0.10	निजी भूमि	372	0.16	निजी भूमि
537	0.09	निजी भूमि	379	0.02	निजी भूमि
549	0.20	निजी भूमि	382	0.04	निजी भूमि
359	0.68	निजी भूमि	523	0.09	निजी भूमि
398	0.12	निजी भूमि	381	0.16	निजी भूमि
413	0.35	निजी भूमि	524	0.10	निजी भूमि
415	0.47	निजी भूमि	383	0.25	निजी भूमि
418	0.37	निजी भूमि	385	0.14	निजी भूमि
419	0.78	निजी भूमि	412	1.28	निजी भूमि
521	0.16	निजी भूमि	518	0.19	निजी भूमि
525	0.13	निजी भूमि	551	0.15	निजी भूमि
531	0.22	निजी भूमि	384	0.12	निजी भूमि
532	0.13	निजी भूमि	433	0.02	निजी भूमि
545	0.49	निजी भूमि	458	0.21	निजी भूमि
547	0.25	निजी भूमि	550	0.38	निजी भूमि
361	0.06	निजी भूमि	388	0.17	निजी भूमि
375	0.10	निजी भूमि	389	0.15	निजी भूमि
463	0.03	निजी भूमि	390	0.17	निजी भूमि
470	0.37	निजी भूमि	400	0.08	निजी भूमि
481	0.10	निजी भूमि	402	0.11	निजी भूमि
527	0.21	निजी भूमि	409	0.60	निजी भूमि
539	0.08	निजी भूमि	410	0.72	निजी भूमि
541	0.65	निजी भूमि	516	0.12	निजी भूमि
362	0.06	निजी भूमि	391	0.08	निजी भूमि
374	0.02	निजी भूमि	395	0.18	निजी भूमि
377	0.05	निजी भूमि	392	0.12	निजी भूमि
380	0.08	निजी भूमि	394	0.12	निजी भूमि
416	0.14	निजी भूमि	393	0.13	निजी भूमि
417	0.02	निजी भूमि	404	0.09	निजी भूमि
469	0.13	निजी भूमि	406	0.03	निजी भूमि
471	0.03	निजी भूमि	407	0.20	निजी भूमि
473	0.28	निजी भूमि	397	0.24	निजी भूमि
475	0.07	निजी भूमि	399	0.23	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	प्र. क्र. 168-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—		
414	0.50	निजी भूमि	अनुसूची		
451	0.17	निजी भूमि	(1) भूमि का वर्णन—		
462	0.09	निजी भूमि	(क) जिला—पन्ना		
517	0.15	निजी भूमि	(ख) तहसील—शाहनगर		
405	0.23	निजी भूमि	(ग) ग्राम—इमलिया		
445	0.92	निजी भूमि	(घ) लगभग क्षेत्रफल—27.62 हेक्टर.		
456	0.10	निजी भूमि	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा	भूमि का
457	0.10	निजी भूमि		(हे. में)	प्रकार
472	0.68	निजी भूमि	(1)	(2)	(3)
479	0.10	निजी भूमि	2013	0.08	निजी भूमि
490	0.10	निजी भूमि	2218	0.15	निजी भूमि
436	0.22	निजी भूमि	2014	0.23	निजी भूमि
438	0.04	निजी भूमि	2015	0.58	निजी भूमि
439	0.30	निजी भूमि	2183/2	0.43	निजी भूमि
442	0.21	निजी भूमि	2016	0.68	निजी भूमि
447	0.42	निजी भूमि	2018	0.25	निजी भूमि
450	0.27	निजी भूमि	2019	0.18	निजी भूमि
454	0.30	निजी भूमि	2024	0.10	निजी भूमि
455	0.21	निजी भूमि	2017/1	0.70	निजी भूमि
460	0.07	निजी भूमि	2017/2	0.60	निजी भूमि
467	0.45	निजी भूमि	2017/3	1.00	निजी भूमि
482/2	0.09	निजी भूमि	2017/4	0.90	निजी भूमि
461	0.06	निजी भूमि	2017/13	0.40	निजी भूमि
466	0.28	निजी भूमि	2017/6	0.80	निजी भूमि
468	0.29	निजी भूमि	2017/7	0.81	निजी भूमि
485	0.02	निजी भूमि	2017/8	0.80	निजी भूमि
535	0.07	निजी भूमि	2017/9	0.46	निजी भूमि
482/1	0.09	निजी भूमि	2017/10	1.00	निजी भूमि
510	0.02	निजी भूमि	2017/11	1.00	निजी भूमि
513	0.09	निजी भूमि	2017/12	1.00	निजी भूमि
515	0.09	निजी भूमि	2017/14	1.00	निजी भूमि
520	0.21	निजी भूमि	2023	0.12	निजी भूमि
522	0.22	निजी भूमि	2053	0.02	निजी भूमि
421	0.42	निजी भूमि	2087	0.28	निजी भूमि
427	0.12	निजी भूमि	2025	0.10	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . .	31.85		2029	0.03	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—उमेही नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.			2042	0.07	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.			2043	0.05	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2044	0.75	निजी भूमि	2176	0.04	निजी भूमि
2046	0.06	निजी भूमि	2177	0.05	निजी भूमि
2047	0.07	निजी भूमि	2178	0.06	निजी भूमि
2048	0.07	निजी भूमि	2179	0.06	निजी भूमि
2049	0.32	निजी भूमि	2180	0.04	निजी भूमि
2045	0.64	निजी भूमि	2184	0.04	निजी भूमि
2089	1.92	निजी भूमि	2185	0.25	निजी भूमि
2090	0.17	निजी भूमि	2222	0.05	निजी भूमि
2091	0.13	निजी भूमि	2224	0.02	निजी भूमि
2092	0.23	निजी भूमि	2225	0.08	निजी भूमि
2093	0.07	निजी भूमि	2226	0.03	निजी भूमि
2094	0.73	निजी भूमि	2182	0.15	निजी भूमि
2095	0.26	निजी भूमि	2186	0.02	निजी भूमि
2052	0.10	निजी भूमि	2187	0.50	निजी भूमि
2088	0.32	निजी भूमि	2219	0.04	निजी भूमि
2096/2	0.60	निजी भूमि	2220	0.07	निजी भूमि
2099	0.04	निजी भूमि	2188/2	0.32	निजी भूमि
2100	0.08	निजी भूमि	2189	0.36	निजी भूमि
2101	0.06	निजी भूमि	2211	0.24	निजी भूमि
2102	0.02	निजी भूमि	2221	0.04	निजी भूमि
2105	0.03	निजी भूमि	2231	0.04	निजी भूमि
2106	0.11	निजी भूमि	2232	0.05	निजी भूमि
2107	0.10	निजी भूमि	2618	0.14	निजी भूमि
2108	0.03	निजी भूमि	2619	0.07	निजी भूमि
2109	0.07	निजी भूमि	2620	0.26	निजी भूमि
2110	0.07	निजी भूमि	2622	0.23	निजी भूमि
2111	0.02	निजी भूमि	1339	0.02	निजी भूमि
2112	0.04	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . .	27.62	
2119	0.13	निजी भूमि	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—इमलिया	
2123	0.04	निजी भूमि		तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.	
2103/1	0.30	निजी भूमि	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय	
2104	0.05	निजी भूमि		पन्ना में किया जा सकता है.	
2121	0.02	निजी भूमि			
2103/2	0.20	निजी भूमि			
2122	0.06	निजी भूमि			
2131	0.05	निजी भूमि			
2103/3	0.30	निजी भूमि			
2124	0.38	निजी भूमि			
2125	0.21	निजी भूमि			
2126	0.21	निजी भूमि			
2127	0.90	निजी भूमि			
2183/1	0.40	निजी भूमि			
2223	0.05	निजी भूमि			
2229	0.05	निजी भूमि			
2230	0.07	निजी भूमि			

कुल रकबा निजी भूमि . . 27.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—इमलिया तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 206-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—पन्ना

- (ग) ग्राम—जनकपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.700 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
348/1 झ	0.350	निजी भूमि
348/12	0.280	निजी भूमि
1/1 ग/मिन 1	0.070	
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>0.700</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जनकपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 207-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छोटे हुये रकबों का (पूरक अर्वार्ड) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—पन्ना  
(ग) ग्राम—रमखिरिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.23 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
94	0.11	निजी भूमि
260	0.11	निजी भूमि
286	0.01	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>0.23</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रमखिरिया योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 208-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—पन्ना  
(ग) ग्राम—कोठीटोला  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.93 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
117	0.28	निजी भूमि
316	0.10	निजी भूमि
317	0.16	निजी भूमि
399/1	0.39	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>0.93</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—दिया तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 223-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छोटे हुए रकबों का (पूरक अर्वार्ड) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—अमानगंज  
(ग) ग्राम—बलगहा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.110 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
690/1	0.110	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>0.110</u>	



- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मिढासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

(1)	(2)	(3)
265	0.010	निजी भूमि
269	0.010	निजी भूमि
270	0.080	निजी भूमि
47	0.060	निजी भूमि
49	0.010	निजी भूमि
50	0.010	निजी भूमि
53	0.010	निजी भूमि
54	0.010	निजी भूमि
184	0.070	निजी भूमि
187	0.070	निजी भूमि
188	0.300	निजी भूमि
177	0.060	निजी भूमि
170	0.035	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . . 3.190

प्र. क्र. 229-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छोटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर  
(ग) ग्राम—भिलसांय  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.190 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
995/1	0.320	निजी भूमि
996/1	0.320	निजी भूमि
995/2	0.150	निजी भूमि
996/2	0.170	निजी भूमि
2498/3 जुज	0.160	निजी भूमि
997 जुज	1.000	निजी भूमि
1010	0.020	निजी भूमि
1017	0.020	निजी भूमि
1018	0.010	निजी भूमि
911	0.015	निजी भूमि
921	0.010	निजी भूमि
920	0.030	निजी भूमि
909	0.010	निजी भूमि
919	0.020	निजी भूमि
839	0.010	निजी भूमि
838	0.020	निजी भूमि
778/2 क	0.050	निजी भूमि
341/1		निजी भूमि
341/2	0.100	निजी भूमि
341/3		निजी भूमि
342	0.010	निजी भूमि
343	0.010	निजी भूमि

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भिलसांय तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 230-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छोटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर  
(ग) ग्राम—रैगढ़  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.110 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1127/1	0.090	निजी भूमि
1110	0.020	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . .	0.110	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भिलसांय तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 231-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर

(ग) ग्राम—जमुनहाई कलां

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.275 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
245/1	0.275	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	0.275	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सकरिया तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 233-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—सनौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.261 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
74	0.007	निजी भूमि
75	0.080	निजी भूमि
77	0.003	निजी भूमि
78/1		निजी भूमि
78/2	0.074	निजी भूमि
78/3		निजी भूमि
86	0.023	निजी भूमि
89	0.068	निजी भूमि
90	0.078	निजी भूमि
91/1	0.128	निजी भूमि
91/2		निजी भूमि
92/1	0.001	निजी भूमि
92/2		निजी भूमि
94	0.001	निजी भूमि
109	0.100	निजी भूमि
110	0.100	निजी भूमि
122	0.063	निजी भूमि
123	0.001	निजी भूमि
124	0.080	निजी भूमि
282	0.003	निजी भूमि
284	0.105	निजी भूमि
286	0.070	निजी भूमि
287	0.005	निजी भूमि
288/1	0.121	निजी भूमि
288/2		निजी भूमि
305	0.028	निजी भूमि
306	0.013	निजी भूमि
308	0.005	निजी भूमि
309/1	0.090	निजी भूमि
309/2		निजी भूमि
125	0.014	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	1.261	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मिढासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 234-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—अमानगंज  
(ग) ग्राम—अमानगंज पतारा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.411 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
197	0.005	निजी भूमि
198	0.010	निजी भूमि
199	0.325	निजी भूमि
203	0.175	निजी भूमि
207/2	0.190	निजी भूमि
208	0.160	निजी भूमि
209	0.160	निजी भूमि
211	0.210	निजी भूमि
217	0.005	निजी भूमि
218	0.080	निजी भूमि
219	0.056	निजी भूमि
221	0.050	निजी भूमि
224	0.180	निजी भूमि
229/1	0.025	निजी भूमि
308	0.295	निजी भूमि
312	0.005	निजी भूमि
313/1	0.140	निजी भूमि
313/2	0.160	निजी भूमि
313/3	0.180	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	2.411	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 235-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुये रकबों का (पूरक अवाई) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—अमानगंज  
(ग) ग्राम—ककरहाई  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.848 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
371	0.108	निजी भूमि
370	0.240	निजी भूमि
356	0.170	निजी भूमि
357	0.080	निजी भूमि
359/1	0.150	निजी भूमि
24	0.100	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	0.848	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 236-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—पिपरवाह	(1)	(2)	(3)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.060 हेक्टर.	1391	0.200	निजी भूमि
खसरा नम्बर	1392	0.010	निजी भूमि
कुल अर्जित रकबा (हे. में)	1386	0.310	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	
533	1.115	निजी भूमि	1385
631	0.070	निजी भूमि	1384
641	0.230	निजी भूमि	1383
642	0.130	निजी भूमि	1382
643	0.230	निजी भूमि	1394
710	0.500	निजी भूमि	1377
721	0.160	निजी भूमि	1373
746	0.130	निजी भूमि	1370/1 क
762	0.170	निजी भूमि	1372/1
763	0.200	निजी भूमि	838
768/1633	0.210	निजी भूमि	1359
779	0.477	निजी भूमि	1360
839	0.100	निजी भूमि	844
841	0.008	निजी भूमि	1361
840	0.005	निजी भूमि	1344
837	0.204	निजी भूमि	1343
836	0.162	निजी भूमि	1342
864	0.240	निजी भूमि	1328
868	0.005	निजी भूमि	1330
869	0.156	निजी भूमि	1327/1
835	0.010	निजी भूमि	1326/1
870	0.096	निजी भूमि	1329
903/1, 903/2	0.086	निजी भूमि	1331
902/1	0.195	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि . . . 12.060
891	0.018	निजी भूमि	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मिढ़ासन व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
892/3	0.206	निजी भूमि	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.
901	0.057	निजी भूमि	पन्ना, दिनांक 27 जून 2013
887/1, 887/2,	0.306	निजी भूमि	प्र. क्र. 078-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—
887/3, 887/4,		निजी भूमि	
888			
889	0.093	निजी भूमि	
890			
886/1, 886/2	0.141	निजी भूमि	
885	0.180	निजी भूमि	
892/2 क		निजी भूमि	
892/2 ख	0.210	निजी भूमि	
892/2 ग			
1481/2	0.100	निजी भूमि	
1479	0.190	निजी भूमि	
1478		निजी भूमि	

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—शाहनगर

			(1)	(2)	(3)
(ग) ग्राम—कंधेली					
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.72 हेक्टर.			24	0.030	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार	25	0.100	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	22	0.100	निजी भूमि
			27	0.150	निजी भूमि
			26	0.050	निजी भूमि
323	0.05	निजी भूमि	28	0.130	निजी भूमि
324	0.12	निजी भूमि	29	0.010	निजी भूमि
326	0.15	निजी भूमि	35	0.100	निजी भूमि
327	0.10	निजी भूमि	30	0.040	निजी भूमि
328	0.50	निजी भूमि	31	0.300	निजी भूमि
329	0.50	निजी भूमि	9	0.070	निजी भूमि
330	0.27	निजी भूमि	8	0.100	निजी भूमि
331	0.09	निजी भूमि	63/1	0.030	निजी भूमि
332	0.16	निजी भूमि	85	0.010	निजी भूमि
334	0.03	निजी भूमि	86	0.080	निजी भूमि
336/2	0.40	निजी भूमि	87	0.080	निजी भूमि
344	0.21	निजी भूमि	89	0.100	निजी भूमि
450	0.06	निजी भूमि	88	0.010	निजी भूमि
452	0.08	निजी भूमि	110	0.030	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	2.72		107	0.050	निजी भूमि
			109	0.120	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पर्वट मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.			108	0.050	निजी भूमि
			105	0.080	निजी भूमि
			235	0.020	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.			106	0.070	निजी भूमि
			255	0.090	निजी भूमि
			256	0.110	निजी भूमि
प्र. क्र. 126-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—			257	0.020	निजी भूमि
			258	0.010	निजी भूमि
			315	0.030	निजी भूमि
			460	0.010	निजी भूमि
			461	0.090	निजी भूमि
			316	0.120	निजी भूमि
			561	0.010	निजी भूमि
			560/1	0.060	निजी भूमि
(1) भूमि का वर्णन—			559	0.040	निजी भूमि
(क) जिला—पन्ना			553	0.050	निजी भूमि
(ख) तहसील—गुनौर			552	0.110	निजी भूमि
(ग) ग्राम—नयागांव			562	0.020	निजी भूमि
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.610 हेक्टर.			550	0.100	निजी भूमि
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार	804/1	0.060	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)	805/1	0.100	निजी भूमि
			805/2	0.100	निजी भूमि
			806	0.020	निजी भूमि
21	0.020	निजी भूमि			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
807	0.060	निजी भूमि	484	0.20	निजी भूमि
808	0.060	निजी भूमि	823	0.85	निजी भूमि
809	0.060	निजी भूमि	536/2	0.52	निजी भूमि
793	0.050	निजी भूमि	581/2	0.10	निजी भूमि
253	0.010	निजी भूमि	614	0.30	निजी भूमि
254	0.010	निजी भूमि	542	0.02	निजी भूमि
236	0.180	निजी भूमि	543	0.18	निजी भूमि
885	0.100	निजी भूमि	582	0.12	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	3.610		852/1	0.60	निजी भूमि
			301/2	0.03	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भितरी			301/4	0.05	निजी भूमि
मुटमुरू तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु,			401	0.02	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय,			380	0.75	
पन्ना में किया जा सकता है.			381	0.55	
			375	0.15	
			394	0.21	
			कुल रकबा निजी भूमि . .	7.48	

प्र. क्र. 219-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुए रकबों का (पूरक अवार्ड) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
 (क) जिला—पन्ना  
 (ख) तहसील—पवई  
 (ग) ग्राम—भितरी मुटमुरू  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.48 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
301/3	0.25	निजी भूमि
596	0.05	निजी भूमि
599/1	0.03	निजी भूमि
435	0.49	निजी भूमि
457/2	0.07	निजी भूमि
464	0.10	निजी भूमि
467	0.31	निजी भूमि
477/3	0.55	निजी भूमि
480/2	0.30	निजी भूमि
481/2	0.10	निजी भूमि
481/3	0.58	निजी भूमि

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भितरी मुटमुरू तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.  
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**धनंजय सिंह**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 20 जून 2013

प्र. क्र. 14-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
 (क) जिला—विदिशा  
 (ख) तहसील—विदिशा

- (ग) ग्राम—भियाखेडी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.552 हेक्टर.

सर्वे क्र. (1)	रकबा (हे. में) (2)
13/9	0.094
13/15	0.074
13/2	0.110
13/3	0.084
13/14	0.100
13/11	0.090
कुल योग . . 0.552	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर परियोजना अन्तर्गत पीपलखेडा नहर की लघु नहर क्र. आर. एम. 2 के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 25 जून 2013

प्र. क्र. 64-अ82-2012-13-क्र. 1370-भू-अर्जन-नहर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—अंजड

- (ग) ग्राम—भमोरी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.246 हेक्टर.

खसरा क्र. (1)	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में) (2)
29/5 पैकि	0.024
39 पैकि	0.623
42/1. 43/2 पैकि	0.130
4/1 पैकि	0.154
44 पैकि	0.150
159/6 पैकि	0.085
162/4/2 पैकि	0.081
162/4/3 पैकि	0.162
163/1 पैकि	0.210
163/2 पैकि	0.308
166/2 पैकि	0.097
166/3 पैकि	0.065
167/1 पैकि	0.069
167/2 पैकि	0.202
167/3 पैकि	0.267
167/4 पैकि	0.227
167/5 पैकि	0.117
167/6 पैकि	0.275
कुल योग . . 3.246	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर की भमोरी माईनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) नोट :—भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, कलेक्टर, कार्यालय, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 4 जुलाई 2013

क्र. B-206-दो-3-1-36-भाग-पांच.—श्री ए. व्ही. मण्डलोई, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर की पदोन्नति बजट अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 12000-375-16500/- (पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 15600-39100+ग्रेड पे रु. 7600) अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, इन्दौर की स्थापना पर की जाती है एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना से बजट अधिकारी का पद तत्काल प्रभाव से उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर की स्थापना पर स्थानान्तरित किया जाता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
**वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.**

जबलपुर, दिनांक 27 जून 2013

क्र. D-2573-दो-2-49-2009.—श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 30 मई से 4 जून 2013 तक, छः दिन का एवं दिनांक 10 से 14 जून 2013 तक, पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4978-दो-2-34-2010.—श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 3 से 14 जून 2013 तक, बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 से 17 जून 2013 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-4980-दो-2-15-2008.—श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 29 अप्रैल 2013 से 10 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके बारह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-4983-दो-2-44-2012.—श्री ए. के. श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 7 से 13 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।



क्र. C-4985-दो-2-42-2009.—श्रीमती शिप्रा शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

- (1) दिनांक 20 से 25 मई 2013 तक, छः दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 19 से 26 मई 2013 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.
- (2) दिनांक 31 मई 2013 से 2 जून 2013 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 3 से 7 जून 2013 तक पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8,9 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिप्रा शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शिप्रा शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-4987-दो-2-30-2012.—श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 17 से 19 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. एस. कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4989-दो-2-20-2013.—श्री जे. पी. राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. राव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. पी. राव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4991-दो-2-19-ए-2009.—सुश्री भारती बघेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 29 जून 2013

क्र. D-2643-दो-2-30-2012.—श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 20 से 22 मई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. एस. कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-2645-दो-2-25-2013.—श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 23 से 29 मई 2013 तक, सात दिन का एवं दिनांक 10 से 14 जून 2013 तक, पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-2647-दो-2-33-2010.—श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 27 मई से 1 जून 2013 तक, छः दिन का एवं दिनांक 10 से 14 जून 2013 पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रणजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-2649-दो-3-14-2005.—श्री जे. पी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 27 से 31 मई 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 1 से 14 जून 2013 तक चौदह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-2651-दो-2-21-2013.—श्री अखिलेश पण्डया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 17 से 29 जून 2013 दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 जून 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 30 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश पण्डया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिलेश पण्डया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-5054-दो-3-47-2003.—श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 12 से 14 जून 2013 तक, तीन दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं दिनांक 15 जून 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव नारायण खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-5056-दो-2-20-2011.—श्री ए. के. चतुर्वेदी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 15 से 24 जून 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. चतुर्वेदी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. चतुर्वेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
**व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.**

जबलपुर, दिनांक 26 जून 2013

क्र. 751-गोपनीय-2013-IV-12-40-2005(Pt.II) .— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ दो में दर्शित निम्नतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को स्तम्भ तीन में दर्शित दिनांक से, मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) (यथा संशोधित) नियम, 1994 सहपठित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) (यथा संशोधित) नियम, 2010 के तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश को उनकी वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1) संवर्ग में, सेवा के पांच वर्ष पूर्ण होने की दिनांक से, वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-II) ए. सी. जे. एम./सी.जे.एम. प्रथम ए. सी. पी. ग्रेड [Senior Civil Judge (Grade II) ACJM/CJM I ACP Grade] वेतनमान रुपये 43690—1080—49090—1230—56470/- प्रदान करता है :-

### सारणी

क्र. अधिकारी का नाम वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-II) ए.सी.जे.एम/सी.जे.एम. प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड [Senior Civil Judge (Grade II) ACJM/CJM I ACP Grade] वेतनमान रुपये 43690—1080—49090—1230—56470/- प्रदान किये जाने का दिनांक

(1)	(2)	(3)
1	श्री अजय कुमार टेलर	24-3-2013
2	श्रीमती माधुरी राज लालजी	18-5-2011

(1)	(2)	(3)
3	श्री राजेन्द्र कुमार बाथम	12-5-2011
4	श्री कृष्ण दास महार	17-3-2013
5	श्री धनराज दुबेला	24-3-2013
6	श्री संजीव कुमार गुप्ता	25-3-2013
7	श्री अरविंद कुमार गोयल	24-3-2013
8	श्रीमती प्रिया शर्मा	29-3-2013
9	श्री दीपक कुमार पाण्डे	24-3-2013
10	श्री पंकज सिंह महेश्वरी	24-3-2013
11	श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव	24-3-2013
12	कुमारी शालिनी शर्मा	24-3-2013
13	कुमारी मंजूलता चतुर्वेदी	16-6-2013
14	श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जून.)	16-6-2013
15	श्री समीर कुलश्रेष्ठ	16-6-2013
16	श्रीमती वर्षा शर्मा	16-6-2013
17	श्री अशोक गुप्ता	16-6-2013
18	श्री अजय कांत पाण्डे	16-6-2013
19	श्री रामजी गुप्ता	16-6-2013
20	श्री गालिब रसूल	16-6-2013
21	श्री गंगाचरण शर्मा	16-6-2013
22	श्री आलोक कुमार सक्सेना	16-6-2013
23	श्री मसूद अहमद खान	16-6-2013

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
24	श्री राकेश कुमार जैन	16-6-2013	45	श्री अनिल कुमार छापरिया	16-6-2013
25	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास	16-6-2013	46	श्री राजेश कुमार रावतकर	16-6-2013
26	कुमारी सरिता बाधवानी	16-6-2013	47	श्री मनोज कुमार लढ़िया	16-6-2013
27	श्री अशोक कुमार शर्मा (जूनि.2)	16-6-2013	48	श्री मुकेश कुमार बाथम	16-6-2013
28	श्री गंगाचरण दुबे	16-6-2013	49	श्री जवाहर सिंह मरकाम	16-6-2013
29	कुमार सुमन श्रीवास्तव	16-6-2013	50	श्री अंतर सिंह अलावा	16-6-2013
30	श्री विकास चंद्र मिश्र	16-6-2013	51	श्री अशोक कुमार सोंधिया	16-6-2013
31	श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव	16-6-2013	52	श्री भूभास्कर यादव	16-6-2013
32	श्री जयशंकर श्रीवास्तव	16-6-2013	53	श्री अरबिंद कुमार (जैन)	16-6-2013
33	श्री मसूद अरशद खान	16-6-2013	54	श्री अरुण प्रताप सिंह	16-6-2013
34	श्री बलराम यादव	16-6-2013	55	श्री मुन्ना लाल राठौर	16-6-2013
35	श्री शिव बालक साहू	16-6-2013	56	श्री सैफी दाउदी	16-6-2013
36	श्री मुकेश कुमार दांगी	16-5-2013	57	श्रीमती शशि सिंह	16-6-2013
37	श्री सुधीर कुमार	16-6-2013	58	श्री तजिन्दर सिंह अजमानी	16-6-2013
38	श्री राजीव के. पाल	16-6-2013	<p>संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-II) ए.सी.जे.एम./सी.जे.एम. प्रथम ए.सी.पी ग्रेड [Senior Civil Judge (Grade II) ACJM/CJM I ACP Grade] वेतनमान रुपये 43690-1080-49090-1230-56470/- प्राप्त करने वाले न्यायिक अधिकारियों को उनके वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश संवर्ग में सेवा के पांच वर्ष पूर्ण होने की दिनांक से उन्हें वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (ग्रेड-2) प्रथम ए.सी.पी ग्रेड [Senior Civil Judge (Grade II) I ACP Grade] वेतनमान रुपये 43690-1080-49090-1230-56470/- प्रदान किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें.</p>		
39	श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन	16-6-2013			
40	श्री देवीलाल सोनिया	16-6-2013			
41	श्री विक्रम सिंह बुले	16-6-2013			
42	श्री जयदीप सिंह	16-6-2013			
43	श्री अखिलेश कुमार धाकड़	16-6-2013			
44	श्री राजकुमार वर्मा	16-6-2013			

जबलपुर, दिनांक 29 जून 2013

क्र. 763-गोपनीय-2013-दो-3-48-2013.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, सुश्री रिजवाना कौसर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, अनूपपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, अनूपपुर (प्रशिक्षु जज) का विवाह उपरान्त नाम परिवर्तन “श्रीमती रिजवाना कौसर” पति “श्री हिदायत उल्ला खान” करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

क्र. 765-गोपनीय-2013-दो-3-47-2013.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्रीमती संगीता भारती, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मंदसौर का विवाह उपरान्त नाम परिवर्तन “श्रीमती संगीता भारती राठौर” पति “श्री अरुण कुमार राठौर” करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार,

वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 2 जुलाई 2013

क्र. 782-गोपनीय-2013-दो-3-250-57-(भाग-32).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा.-3 (बी) 1-2012-इक्कीस-ब-(एक) (मेरिट क्रमांक ), दिनांक 21 जून 2013 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्र.	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री रवि नायक	पन्ना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, पन्ना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

(1) (2) (3) (4)

2	श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, उज्जैन के न्यायालय के नवम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
3	श्रीमती पूनम डामेचा	बड़वानी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बड़वानी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
4	श्री सचिन कुमार जाधव	धार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, धार के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 4 जुलाई 2013

क्र. 788-गोपनीय-2013-दो-3-1-2013 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, निम्न सारणी क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :-

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती बबीता होरा शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मनासा, जिला नीमच.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, मनासा, जिला नीमच की हैसियत से श्री आरिफ खान के स्थान पर.
2	श्री आरिफ खान, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मनासा, जिला नीमच.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, मनासा, जिला नीमच की हैसियत से श्रीमती बबीता होरा शर्मा के स्थान पर.

क्र. 790-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री हरीश कुमार कौशिक, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.	अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 4, विद्युत् अधिनियम, 2003 ग्वालियर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

- |   |     |  |
|---|-----|--|
| (1)   | (2) | (3)  |
| 2 श्री कीर्ति कुमार वर्मा,<br>चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र<br>न्यायाधीश, भोपाल.     |     | अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष<br>न्यायालय क्रमांक 2, विद्युत्<br>अधिनियम, 2003 भोपाल<br>की हैसियत से रिक्त<br>न्यायालय में.  |
| 3 श्री गोविन्द सिंह काकोड़िया,<br>पंचम् अपर जिला एवं सत्र<br>न्यायाधीश, जबलपुर. |     | अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष<br>न्यायालय क्रमांक 9, विद्युत्<br>अधिनियम, 2003 जबलपुर<br>की हैसियत से रिक्त<br>न्यायालय में. |

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
**वेद प्रकाश**, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर दिनांक 29 जून 2012

क्र. D-2653-दो-2-32-2011.—श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (एग्जाम एण्ड आई.एल.आर.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 3 से 14 जून 2013 तक, बारह दिन के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 15 से 22 जून 2011 तक, आठ दिन का कम्प्युटेड अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (एग्जाम एण्ड आई.एल.आर.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (एग्जाम एण्ड आई.एल.आर.) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
**व्ही बी. सिंह**, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 3 जुलाई 2013

क्र. बी-168-तीन-6-4-81-भाग-सात.—मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश,

जबलपुर, एतद्वारा, अपनी अधिसूचना क्रमांक डी-1227-तीन-6-4-81-भाग-6, दिनांक 16 मार्च 2012 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित स्तम्भ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें :—

### अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में	क्षेत्र जिसके लिये विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)

1. श्री अखिलेश चंद्र शुक्ला, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी.	राजस्व, जिला शिवपुरी.	विशेष न्यायालय, शिवपुरी.
--	-----------------------------	-----------------------------

No. B-168-III-6-4-81-Pt-VII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhinyam, 1981 (Act No. 36 of 1981), the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, hereby makes the following amendment in its Notification No. D-1227-III-6-4-81-Pt-VI, dated 16th March 2012, namely :—

### AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification, in Serial No. (1), for the existing entries in column No. (2) the following entries shall be substituted :—

### SCHEDULE

S. No.	Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government
(1)	(2)	(3)	(4)

1. Shri Akhilesh Chandra Shukla, IIIrd ASJ, Shivpuri.	Revenue, District Shivpuri.	Special Court Shivpuri.
---	-----------------------------------	-------------------------------

बिपिन बिहारी शुक्ला, रजिस्ट्रार (डी.ई.)